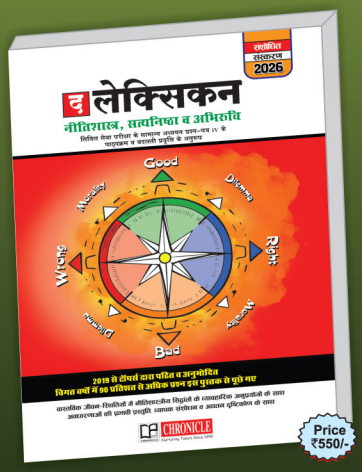
दिसंबर 2026 ■ वर्ष: 36 ■ अंक: 4 ₹150

सिविल सर्विसेज़

क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका



UPSC-CSE प्रारंभिक परीक्षा 2027

भूगोल विशेषांक

- सामान्य अध्ययन मॉक टेस्ट पेपर-3
- NCERT आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न

आलेख

- भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्थिरता में भूमिका
- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाः विकास की नई उड़ान
- भारत में विरोध प्रदर्शन का अधिकारः संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी सीमाएं
- भारत के लिए वैश्विक कार्बन गठबंधन में शामिल होने का रणनीतिक औचित्य
- विधायी विशेषाधिकार बनाम मौलिक अधिकारः सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संवैधानिक प्रश्न
- भारतीय एआई नीतिः हार्डवेयर से आगे बढ़ने की आवश्यकता

इन फोकस मुद्दे

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कैडर अधिकारियों की पदोन्नति और IPS प्रतिनियुक्ति का विवाद
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशः चुनौतियां एवं सुधार
- आदित्य-L1 मिशन की नई उपलब्धियां
- विश्व व्यापार संगठन में सुधार और भारत के लिए अवसर
- सामाजिक अशांति का अर्थशास्त्रः कारण, परिणाम और समाधान

नए स्तंभ
मुख्य परीक्षा विशेष

- एथिकल स्कैन
- निबंध
- मुख्य परीक्षा मॉडल हल
- सामयिक विचार बिंदु
- मासिक प्रश्न परिचर्चा



नवीन आविष्कार एवं नवाचार (2025-26)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के

www.chronicleindia.in

सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

facebook/civilserviceschronicle

दिसंबर 2026

❑ वर्ष 36 ❑ अंक 04

इस अंक में

UPSC प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक

76 भूगोल

129 नवीन आविष्कार एवं नवाचार (2025-26)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के

यह विशेषांक UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दो महत्वपूर्ण विषयों : भारत एवं विश्व का भूगोल तथा भारत में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी नवाचार पर केंद्रित है। UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2027 के अनुरूप, यह संकलन मूलभूत अवधारणाओं (Fundamental Concepts) और समसामयिक घटनाक्रमों के सहज एकीकरण द्वारा अभ्यर्थियों की अवधरणात्मक स्पष्टता तथा विश्लेषणात्मक समझ को प्रखर बनाता है।

आलेख

05 भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्थिरता में भूमिका
06 भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: विकास की नई उड़ान
07 भारत में विरोध प्रदर्शन का अधिकार: संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी सीमाएँ
08 भारत के लिए वैश्विक कार्बन गठबंधन में शामिल होने का रणनीतिक औचित्य
09 विधायी विशेषाधिकार बनाम मौलिक अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संवैधानिक प्रश्न
10 भारतीय एआई नीति: हार्डवेयर से आगे बढ़ने की आवश्यकता

इन फोकस

11 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कैडर अधिकारियों की पदोन्नति और IPS प्रतिनियुक्ति का विवाद
12 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : चुनौतियाँ एवं सुधार
13 आदित्य-L1 मिशन की नई उपलब्धियाँ
14 विश्व व्यापार संगठन में सुधार और भारत के लिए अवसर
15 सामाजिक अशांति का अर्थशास्त्र: कारण, परिणाम और समाधान

एथिकल स्कैन 16-18
निबंध 19-21
विचार बिंदु 22
मुख्य परीक्षा मॉडल हल प्रश्न पत्र 23-25
मासिक प्रश्न -परिचर्चा 26

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य

- डिजिटल कृषि मिशन के तहत 11 करोड़ डिजिटल पहचान पत्र.... 27
- जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 28
- सर्वोच्च न्यायालय का दिव्यांगजनों हेतु हवाई यात्रा को सुलभ बनाने का निर्देश 30

आर्थिक परिदृश्य

- चीन द्वारा TBM निर्यात पर प्रतिबंध और भारत की रणनीतिक चुनौती 31
- रुपये में गिरावट के बीच RBI ने विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव नियम सख्त किए... 32
- वैश्विक विनिर्माण में अतिरिक्त क्षमता और भारत की व्यापार रणनीति... 32
- एसएमई ग्रोथ फंड और एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण....33
- भारत की नई GDP शृंखला: प्रमुख पद्धतिगत सुधार..... 34

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, 2026 35
- क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट..... 36
- द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट (SPIR) 2026:..... 37

सामाजिक परिदृश्य

- महिला-नेतृत्व : विकास और लैंगिक न्याय 39
- वृद्धजनों की देखभाल के लिए भारत को कुशल कार्यबल की आवश्यकता..... 40

राजव्यवस्था एवं शासन

- धर्मांतरण और आरक्षण: सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 41
- CJI का विपक्षी नेताओं से मुलाकात से इनकार: संवैधानिक दृष्टिकोण..... 42
- निजता का अधिकार और 'भूल जाने का अधिकार'..... 43

अंतरराष्ट्रीय

- भारत-अजरबैजान संबंध: कूटनीतिक मतभेदों के बीच सहयोग की संभावनाएँ.....44
- फ्रांस में आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता..... 45
- अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट और भारत की ऊर्जा सुरक्षा..... 45
- रूस से डीजल आयात पर अमेरिकी यू-टर्न और भारत के लिए अवसर..46
- अमेरिकी PERM कार्यक्रम में भारतीय IT कंपनियों पर कार्रवाई... 47

योजना एवं कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना..... 48
- भावी योजना..... 49

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

- विश्व बैंक समूह 50
- विश्व व्यापार संगठन (WTO).....50
- संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन 51

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- इसरो का स्पाडेक्स मिशन और उपग्रहों का पुन: प्रवेश..... 52
- प्रकाश-आधारित डिजिटल मेमोरी..... 52
- भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2026 53
- रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार- 2026..... 54

पर्यावरण एवं जैव विविधता

- भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन (SPAI).....56
- E85 और E100 फ्लेक्स-ईंधन वाहनों के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन.....57

विरासत एवं संस्कृति

- संहिता प्रोजेक्ट..... 59
- काशी तमिल संगमम (KTS 5.0)..... 60
- यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 3 नए स्थल शामिल..... 60
- मांदर को मिला भौगोलिक संकेतक (GI) टैग..... 61

आंतरिक सुरक्षा

- रक्षा मंत्री का रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता 2.0' का आह्वान 62
- भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बेड़ा सहायता पोत 'सूर्या'.....63
- भारत और जापान का 'यूनिकॉर्न' नौसेना रडार समझौता.....63

पत्र-पत्रिका 64-68

डेटा बैंक..... 69-70

राज्य परिदृश्य 71-73

समाचार एक नजर में 74-75

लघु सचिका 146-149

खेल 150-152

वनलाइनर करेंट अफेयर्स..... 153-154

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2027, सामान्य अध्ययन, मॉडल टेस्ट पेपर - 3 155-172

एनसीआरटी पर आधारित प्रश्न.....173-179

समसामयिक प्रश्न 180-186

संपादक
एन.एन. ओझा

उपाध्यक्ष
कीर्ति नंदिता

कार्यालय
क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-1 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel. : 0120-2514610
9953099442
info@chronicleindia.in

Subscription Enquiry
9953007629
subscription@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं इम्प्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नंबर C-18-19-20-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301 से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

कॉपीराइट © क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्थिरता में भूमिका

भारत में आर्थिक सुधार किसी बाहरी दबाव या मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के आधार पर किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को संघर्ष और अनिश्चितता से घिरी दुनिया में एक "स्थिर स्तंभ" के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत में आर्थिक सुधार किसी बाहरी दबाव या मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के आधार पर किए जा रहे हैं। उनके अनुसार, भारत का आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर पर है, जो देश की आर्थिक मजबूती और वैश्विक विश्वसनीयता को दर्शाता है।

- **भारत की आर्थिक प्रगति:** भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूत विकास दर के साथ अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 7.8% रही। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को जुलाई के 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया। इसके पीछे घरेलू मांग में मजबूती और सेवा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन प्रमुख कारण है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी विकास दर का अपना अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया।
- **प्रमुख आर्थिक संकेतक:** प्रधानमंत्री ने भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को रेखांकित करते हुए बताया कि चालू खाते का घाटा, जो लगभग 12-13 वर्ष पहले GDP के 4% से अधिक था, पिछले वर्ष घटकर 0.61% रह गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है और बैंकिंग प्रणाली पिछले कई दशकों की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में है। इन सकारात्मक संकेतकों ने भारत की आर्थिक साख को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।
- **सुधार मजबूरी नहीं, दृढ़ विश्वास:** प्रधानमंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर (GST), दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित करने तथा सैकड़ों छोटे व्यावसायिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जैसे संरचनात्मक सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने इन प्रयासों को भारत की "रिफॉर्म एक्सप्रेस" की संज्ञा दी। इन सुधारों का उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना, कारोबारी सुगमता बढ़ाना, ऋण समाधान प्रक्रिया को प्रभावी करना तथा निवेश और रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।
- **वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास का संकट:** प्रधानमंत्री ने विश्वास को वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के माध्यम से दुनिया को जोड़ने वाले तंत्र अब कई बार दबाव और प्रभुत्व स्थापित करने के साधन बन रहे हैं। आपूर्ति शृंखलाएँ, ऊर्जा, खनिज, भुगतान प्रणालियाँ और प्रौद्योगिकी भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के उपकरण बनती जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन ला रही है, जबकि अनेक देश वृद्ध होती आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- **'सशक्त बनाकर सशक्त करना' की अवधारणा:** प्रधानमंत्री ने भारत की वैश्विक भूमिका को "पावर टू एम्पावर" अर्थात अपनी क्षमताओं के माध्यम से दूसरों को सशक्त बनाने के सिद्धांत से जोड़ा। भारत किफायती जेनेरिक दवाओं, आधार और UPI जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा कुशल युवाओं के माध्यम से विश्व को सहयोग प्रदान कर रहा है। भारत में स्थापित 2,000 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं।
- **वैश्विक सहयोग और सुशासन:** कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 100 से अधिक देशों को टीकों की आपूर्ति करके अपनी विनिर्माण क्षमता को वैश्विक सहायता में परिवर्तित किया। प्रधानमंत्री ने AI शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ मानवता के साथ-साथ अन्य जीवों तक पहुँचाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। घरेलू शासन के संदर्भ में उन्होंने निर्भरता बढ़ाने के बजाय नागरिकों को सक्षम बनाने पर बल दिया। उनके अनुसार, पिछले दशक में भारत ने लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है।

निष्कर्ष:

भारत की आर्थिक प्रगति केवल राष्ट्रीय उपलब्धि नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता में योगदान देने का अवसर भी है। आर्थिक सुधारों, मजबूत व्यापक आर्थिक संकेतकों, डिजिटल नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत स्वयं को एक विश्वसनीय आर्थिक साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है। वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है—विकास ऐसा हो जो केवल भारत तक सीमित न रहे, बल्कि दुनिया के साथ और दुनिया के हित में आगे बढ़े।

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: विकास की नई उड़ान

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर है, अगले 7-8 वर्षों में 40-45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

नीतिगत सुधारों के बाद भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से व्यावसायिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इन सुधारों ने इस उद्योग को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। इसके साथ ही ऐसा नया ढांचा तैयार किया है, जिससे व्यावसायिक उद्यम अंतरिक्ष से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर है, अगले 7-8 वर्षों में 40-45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने का प्रत्यक्ष परिणाम है।

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र: क्षमताओं के प्रदर्शन से वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब केवल अपनी तकनीकी क्षमताओं (जैसे- सफल लॉन्च और उपग्रह विकास) को प्रदर्शित करने तक सीमित नहीं है। अब हमारा मुख्य उद्देश्य 'विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनियों का निर्माण' करना है।

वर्ष 2019-2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोले जाने के बाद से मात्र पांच-छह वर्षों में अभूतपूर्व परिणाम सामने आए हैं। आज IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) जैसी संस्थाओं की मदद से सरकारी संस्थानों (ISRO) और निजी क्षेत्र के बीच एक बेहतरीन तालमेल स्थापित हुआ है।

निजी अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ाने की प्रमुख चुनौतियाँ और समाधान:

निजी अंतरिक्ष कंपनियों को 'व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम' बनाने के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं:

* **पूर्वानुमेय मांग:** निजी कंपनियों के विकास के लिए मांग का होना सबसे आवश्यक है। सरकार 'उपयोग-मामले आधारित दृष्टिकोण' अपना रही है, जहाँ सरकार स्वयं एक "एंकर ग्राहक" की भूमिका निभाती है। जब कंपनियों को एक निश्चित ग्राहक आधार का भरोसा होता है, तो वे उत्पादन और अनुसंधान में अधिक निवेश करती हैं।
* **तेज विनियामक अनुमोदन:** स्थापना या निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनुमोदन एक निश्चित समय सीमा के भीतर मिलना चाहिए। व्यापार करने की लागत कम होनी चाहिए। इसी दिशा में अंतरिक्ष उत्पादों के लिए हाल ही में जीएसटी (GST) से संबंधित सुधार भी किए गए हैं।
* **सतत व्यापार मॉडल और अंतरराष्ट्रीय निवेश:** भारत विदेशी पूंजी और साझेदारी के लिए अवसर खोल रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की नई नीति ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को बहुत आसान बना दिया है।

पृथ्वी पर विकास को गति दे रही है अंतरिक्ष तकनीक

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल ब्रह्मांड की खोज तक सीमित नहीं है; यह पृथ्वी पर बुनियादी ढांचे और आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है:

* **बुनियादी ढांचा और शासन:** उपग्रह संचार, जियोस्पेशियल अनुप्रयोग और पृथ्वी अवलोकन का उपयोग विकास कार्यों को 'जियोटैग' करने, परियोजनाओं की निगरानी करने और सरकारी मंजूरियों में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है।
* **कृषि और आपदा प्रबंधन:** अंतरिक्ष तकनीक किसानों को मौसम के पैटर्न और फसल की स्थिति की सटीक जानकारी देती है। भारत म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को भी आपदा प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष-आधारित सहायता प्रदान कर रहा है।

आगे की राह: राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक साझेदारी में संतुलन

भारत की अंतरिक्ष नीति का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताएं' और 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग' एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। भारत को अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना है।

उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के निर्माण के साथ-साथ 'डाउनस्ट्रीम सेवाओं' (Downstream services - जैसे डेटा-संचालित समाधान और औद्योगिक अनुप्रयोग) पर ध्यान केंद्रित करना भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों के बाजार का विस्तार करेगा।

भारत की अंतरिक्ष यात्रा एक नए और रोमांचक चरण में प्रवेश कर चुकी है। अगला चरण तकनीकी ताकत को व्यावसायिक सफलता में बदलने का है। अधिक निजी निवेश, तेज विनियामक प्रक्रियाओं, स्वदेशी क्षमताओं और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के साथ, भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख महाशक्ति बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।

In फोकस

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कैडर अधिकारियों की पदोन्नति और IPS प्रतिनियुक्ति का विवाद

सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिकाओं की सुनवाई और उनकी सूचीबद्धता को लेकर हालिया विवाद ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति तथा कैडर अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे संस्थागत मतभेदों को फिर से चर्चा में ला दिया है। विवाद का मुख्य प्रश्न यह है कि वरिष्ठ पदों पर उन अधिकारियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा सेवाकाल CAPFs में बिताया है, या भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जारी रहनी चाहिए। यह मुद्दा प्रशासनिक दक्षता, कैडर प्रबंधन, सेवा संबंधी समानता और न्यायपालिका तथा विधायिका के संबंधों से भी जुड़ा है।

- **हालिया विवाद की पृष्ठभूमि:** सर्वोच्च न्यायालय मई 2025 के अपने निर्णय के अनुपालन से संबंधित अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। न्यायालय ने CAPFs में कैडर अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा वरिष्ठ पदों पर IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को क्रमिक रूप से कम करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार से 46 IPS अधिकारियों की CAPFs में नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया। केंद्र ने अवमानना कार्यवाही को नए CAPF कानून को चुनौती देने वाली अलग याचिका के साथ सुनने का अनुरोध किया। इसके विपरीत, CAPF अधिकारियों का तर्क था कि न्यायालय के पूर्व निर्णय का अनुपालन न करना और नए कानून की संवैधानिक वैधता दो अलग-अलग मुद्दे हैं।
- **CAPFs में पदोन्नति संबंधी समस्या:** इस विवाद में पाँच प्रमुख बल शामिल हैं-केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB)। इन बलों का अपना ग्रुप-A कार्यकारी कैडर है, जिसमें अधिकारी सामान्यत: सहायक कमांडेंट के रूप में भर्ती होते हैं और वरिष्ठ कमान पदों तक पहुँच सकते हैं। हालाँकि, वरिष्ठ पदों पर लंबे समय से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भी नियुक्तियाँ होती रही हैं। नए कानून से पहले भर्ती नियमों के तहत उपमहानिरीक्षक (DIG) के 20% और महानिरीक्षक (IG) के 50% पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान था। CAPF अधिकारियों के अनुसार, इससे उच्च पदों पर पदोन्नति के अवसर सीमित हो जाते हैं और लंबे सेवाकाल के बावजूद कैडर अधिकारियों को अपेक्षित उन्नति नहीं मिल पाती।
- **OGAS और NFFU का मुद्दा:** वर्ष 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने CAPF अधिकारियों के पक्ष में निर्णय दिया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में बरकरार रखा। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रुप-A कार्यकारी कैडर के अधिकारियों को संगठित ग्रुप-A सेवा (OGAS) का दर्जा और गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (NFFU) के लाभ प्रदान किए। NFFU के अंतर्गत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें रिक्तियों की कमी के कारण नियमित पदोन्नति नहीं मिलती, उच्च वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। हालाँकि, CAPF अधिकारियों का तर्क है कि वास्तविक पदोन्नति और वित्तीय उन्नयन के बीच संबंध तथा प्रत्येक पद पर निर्धारित सेवाकाल की शर्तें कैरियर प्रगति में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। परिणामस्वरूप, उच्च वेतनमान मिलने के बावजूद अधिकारी संबंधित वरिष्ठ पद पर नियुक्त नहीं हो पाते।
- **सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का निर्णय:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि CAPFs को केवल NFFU के उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि व्यापक कैडर-संबंधी मामलों में भी OGAS के रूप में माना जाना चाहिए। उसने कैडर समीक्षा, मौजूदा सेवा एवं भर्ती नियमों की समीक्षा, अधिकारियों की चिंताओं पर विचार और DIG तथा IG स्तर तक प्रतिनियुक्ति वाले पदों को अधिकतम दो वर्षों की बाहरी समय-सीमा के भीतर क्रमिक रूप से कम करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका अक्टूबर 2025 में खारिज कर दी गई।
- **सरकार का पक्ष और नया CAPF कानून:** गृह मंत्रालय का तर्क है कि CAPFs की परिचालन एवं सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियाँ सामान्य नागरिक सेवाओं से अलग हैं। IPS अधिकारी केंद्र और राज्य पुलिस व्यवस्थाओं के बीच संस्थागत समन्वय स्थापित करने में सहायता करते हैं, विशेषकर जब CAPFs को राज्यों में तैनात किया जाता है। इसी संदर्भ में मार्च 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक लाया गया, जिसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून का रूप दिया गया। यह कानून पाँचों CAPFs के ग्रुप-A अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशासनिक ढाँचा स्थापित करता है और भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति तथा सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार केंद्र को देता है। इसके अंतर्गत IG के 50%, अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) के कम-से-कम 67% तथा विशेष महानिदेशक (Special DG) और महानिदेशक (DG) के सभी पद प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित किए गए हैं। कानून में न्यायालयों के असंगत निर्णयों के बावजूद इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू होने का प्रावधान भी शामिल है।
- **संवैधानिक महत्त्व और निष्कर्ष:** विपक्षी सांसदों ने आशंका जताई कि नया कानून सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के निर्णय के प्रभाव को कमजोर कर सकता है और CAPF अधिकारियों के साथ पदोन्नति संबंधी असमानता को बनाए रख सकता है। इस विवाद में अब दो प्रमुख प्रश्न हैं-क्या केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया है और क्या नए कानून के प्रावधान संवैधानिक रूप से वैध हैं। व्यापक रूप से यह मामला न्यायिक समीक्षा, शक्तियों के पृथक्करण, विधायी क्षमता तथा प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा है। आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्र-राज्य समन्वय की जरूरतों के साथ CAPF कैडर अधिकारियों के न्यायसंगत कैरियर विकास को भी सुनिश्चित किया जाए।

एथिकल स्कैन

जी. एस. पेपर IV



न्यायिक आचरण विवादः सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने न्यायाधीशों के लिए SOP की मांग की

सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बीच सार्वजनिक टकराव के बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने न्यायाधीशों के आचरण, विशेषकर सहयोगी न्यायाधीशों से जुड़े मामलों में, के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे दिशानिर्देश न्यायिक अनुशासन बनाए रखने और उच्च न्यायालयों के कामकाज में हस्तक्षेप रोकने के लिए आवश्यक हैं; उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना ने उनकी छवि और न्यायपालिका दोनों को नुकसान पहुँचाया है।

नीतिशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

- **न्यायिक नैतिकता और संस्थागत गरिमाः** न्यायपालिका का अधिकार जनविश्वास पर टिका है। न्यायाधीशों के बीच सार्वजनिक विवाद, प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग के आरोप और स्पष्ट आचरण-मानकों का अभाव संस्था की नैतिक साख को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।
- **नैतिक दुविधाः** SOP की मांग न्यायिक स्वतंत्रता (न्यायाधीशों पर कार्यपालिका के नियम न लागू हों) और न्यायिक जवाबदेही (आंतरिक अनुशासन आवश्यक) के बीच तनाव दर्शाती है। स्वतंत्रता की रक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले नियम बनाना नाजुक नैतिक संतुलन है।
- **नैतिक साहस और व्हिसलब्लोइंगः** सेवानिवृत्ति के बाद भी बोलने का निर्णय व्यक्तिगत और संस्थागत कीमत के बावजूद प्रणालीगत सुधार की माँग करने वाला नैतिक साहस है।

केस अध्ययन

आप एक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। हाल ही में, आपके न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के बीच मामलों के आवंटन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर एक तीखा सार्वजनिक विवाद उत्पन्न हो गया है। एक न्यायाधीश ने खुले तौर पर दूसरे पर अपने प्रभाव का अनुचित उपयोग करने और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। यह टकराव मीडिया की सुर्खियों में आ गया है, जिससे न्यायपालिका की गरिमा और न्याय प्रणाली पर आम जनता के विश्वास को गहरी ठेस पहुंची है।

- इस संस्थागत संकट के बीच, एक सम्मानित सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने सार्वजनिक रूप से एक पत्र लिखकर न्यायाधीशों के आचरण, विशेषकर सहयोगी न्यायाधीशों से जुड़े मामलों में, के लिए एक स्पष्ट 'मानक संचालन प्रक्रिया' (SOP) लागू करने की पुरजोर मांग की है। उनका तर्क है कि आंतरिक अनुशासन की कमी संस्थागत साख को नष्ट कर रही है। हालांकि, आपके न्यायालय के अधिकांश मौजूदा न्यायाधीशों का मानना है कि इस तरह की लिखित SOP या कोई भी बाध्यकारी नियम उनकी 'न्यायिक स्वतंत्रता' को बाधित करेगा और इससे न्यायिक कामकाज में अनावश्यक दबाव पैदा होगा।
- एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में, आप न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी सार्वजनिक जवाबदेही के बीच एक नाजुक चौराहे पर खड़े हैं। आपको इस संकट का समाधान करना है ताकि संस्था की गरिमा बहाल हो सके।
  1. इस मामले में शामिल प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या हैं?
  2. 'न्यायिक स्वतंत्रता' और 'न्यायिक जवाबदेही' के बीच के नैतिक द्वंद्व का मूल्यांकन करें। क्या न्यायाधीशों के लिए SOP लागू करना न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है?
  3. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, इस स्थिति को संभालने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? **(250 शब्द 20 अंक)**

उत्तरः यह केस स्टडी 'न्यायिक स्वतंत्रता', 'सार्वजनिक जवाबदेही' और 'संस्थागत गरिमा' के नाजुक संतुलन पर केंद्रित है। मुख्य न्यायाधीश (Master of the Roster) के रूप में मेरा प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तिगत विवादों और अहम (Ego) के टकराव से ऊपर उठकर, न्याय प्रणाली में जनता के डगमगाते विश्वास (Public Trust) को पुनः बहाल करना है।

निबंध

निबन्ध लेखन वो माध्यम है, जिसके द्वारा अभ्यर्थी किसी विषय के विविध आयामों को तार्किक संतुलित एवं सुसंगत रूप से प्रस्तुत करता है। एक उत्कृष्ट निबंध मात्र तथ्यों का संकलन नहीं होता है, बल्कि वह लेखक के व्यक्तिव दृष्टिकोण मूल्यबोध तथा समस्याओं के प्रतीक उसके समाधानपरक चिंतन का प्रतिबिंब होता है।



सहिष्णुता समाज का आभूषण है, लेकिन अन्याय के प्रति सहिष्णुता कायरता है

निबंध-1

मानव सभ्यता का विकास जंगली बर्बरता से निकलकर नागरिक बोध तक पहुँचने की एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में मनुष्य ने कई सद्गुणों का आविष्कार किया, जिनमें 'सहिष्णुता' सबसे अग्रणी है। सहिष्णुता वह गोंद है जो विविधताओं से भरे समाज को जोड़े रखती है; यह वह आभूषण है जो किसी राष्ट्र के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक स्वरूप को अलंकृत करता है। परंतु, जब कोई सद्गुण अपनी सीमाएं लांघकर कायरता का चोला पहन लेता है, तो वह समाज के लिए एक घातक विष बन जाता है।

प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि "सबसे बड़ा अन्याय वह है जो न्याय के नाम पर किया जाए।" इसी तर्ज पर, सबसे बड़ी कायरता वह है जो 'सहिष्णुता' के नाम पर ओढ़ी जाए। एक सभ्य समाज में विचारों की भिन्नता, वेशभूषा, खान-पान और आस्था के प्रति सहिष्णु होना अनिवार्य है, लेकिन जब यही सहिष्णुता भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार और अन्याय के सामने सिर झुका लेती है, तो वह शांति नहीं, बल्कि 'मशान की खामोशी बन जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो आजीवन अहिंसा और सहिष्णुता के पुजारी रहे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से घोषणा की थी– "मैं हिंसा की तुलना में अहिंसा का समर्थन करता हूँ, लेकिन कायरता और हिंसा में से चुनना हो, तो मैं अन्याय के खिलाफ हिंसा को चुनना बेहतर समझूंगा।"

भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता और कायरता के बीच के इस सूक्ष्म अंतर को एक अत्यंत प्रसिद्ध और शाश्वत सूत्र के माध्यम से समझा जाता है– "क्षमा वीरस्य भूषणम्" (क्षमा या सहिष्णुता वीरों का आभूषण है)। इसका सामाजिक महत्व यह है कि सहिष्णुता तभी सार्थक होती है जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिखाई जाए जिसके पास अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति हो। यदि कोई दुर्बल या भयभीत व्यक्ति अन्याय सहता है, तो वह क्षमा नहीं, बल्कि उसकी विवशता और कायरता है।

इस सूत्र और दर्शन को भारतीय लोक-परंपरा में रामकृष्ण परमहंस द्वारा सुनाई गई एक अत्यंत प्रसिद्ध 'साधु और विषैले सर्प की कथा' के माध्यम से बड़ी गहराई से उकेरा गया है। एक गाँव के पास एक अत्यंत विषैला सर्प रहता था जो लोगों को काट लेता था। एक दिन वहाँ से एक सिद्ध साधु गुजरे। उन्होंने सर्प को उपदेश दिया कि वह बेवजह लोगों को काटना बंद करे और सहिष्णु (शांत) बने। सर्प ने साधु की बात मान ली और काटना छोड़ दिया। लेकिन जब गाँव के लोगों और बच्चों ने देखा कि सर्प अब कुछ नहीं कहता (अत्यधिक सहिष्णु हो गया है), तो उन्होंने उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए और उसे लहूलुहान कर दिया। कुछ समय बाद जब साधु वापस लौटे, तो उन्होंने सर्प की दुर्दशा देखी। सर्प ने रोते हुए कहा, "महाराज, आपके 'सहिष्णुता' के उपदेश ने मेरी यह हालत कर दी।" तब साधु ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा वाक्य कहा जो इस निबंध का सार है– "मूर्ख! मैंने तुझे लोगों को 'काटने' से मना किया था, लेकिन मैंने तुझे अन्याय के खिलाफ 'फुफकारने' (विरोध करने) से मना नहीं किया था।" यह लोककथा स्पष्ट करती है कि समाज में रहने के लिए सहिष्णु होना (किसी को अकारण नुकसान न पहुँचाना) आवश्यक है, लेकिन अपने ऊपर हो रहे अन्याय को चुपचाप सहना (पत्थर खाना) महानता नहीं, घोर मूर्खता और कायरता है।

सामाजिक स्तर पर, भारत जैसा बहुलवादी राष्ट्र केवल सहिष्णुता की नींव पर ही खड़ा रह सकता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'अनेकांतवाद' (जैन दर्शन) की हमारी परंपरा सिखाती है कि सत्य के कई रूप हो सकते हैं और हमें दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। लोकतांत्रिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सहिष्णुता का अर्थ है विपक्ष की आवाज को सुनना। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक वॉल्टेयर ने कहा था– "मैं आपकी बात से पूरी तरह असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दूंगा।" यही सहिष्णुता लोकतंत्र का वास्तविक आभूषण है, जो विभिन्न जातियों, धर्मों और विचारधाराओं को एक साथ पनपने का अवसर देती है।

विचार बिंदु

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पत्रिका का यह खंड सामान्य अध्ययन पेपर I, II, III एवं IV से जुड़े प्रमुख समसामयिक एवं प्रासंगिक विषयों को एक साथ प्रस्तुत करता है और यूपीएससी सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के लिए उनके व्यापक महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।



प्रश्नः "लद्दाख में छठी अनुसूची (Sixth Schedule) की मांग और प्रस्तावित अनुच्छेद 371-K का विचार भारतीय संघवाद की 'विषम या विभेदित संघवाद' (Asymmetric Federalism) की प्रकृति को दर्शाता है।"

लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की मांग और प्रस्तावित अनुच्छेद 371-K

लद्दाख में छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग के साथ-साथ संविधान में नया अनुच्छेद 371-K जोड़कर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायी निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। इस बहस का मुख्य उद्देश्य लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, भूमि अधिकारों और स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा तथा केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करना है।

- **लद्दाख की शासन व्यवस्था की पृष्ठभूमिः** जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद स्थानीय समुदायों में अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराओं, प्रथागत कानूनों और भूमि अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ीं। साथ ही, शासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग भी तेज हुई। इसी संदर्भ में छठी अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण और स्वायत्त शासन की मांग प्रमुखता से सामने आई है।

छठी अनुसूची के बारे में:

- छठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के अंतर्गत लागू होती है। वर्तमान में यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में लागू है। इसके अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की जाती है, जिन्हें निर्धारित विषयों पर भूमि, गैर-आरक्षित वन, झूम खेती, ग्राम प्रशासन और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित नियम बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- इसके अतिरिक्त, इन्हें निर्धारित सीमाओं के भीतर न्यायिक तथा वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। सामान्यतः एक जिला परिषद में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मामलों के प्रशासन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है।

लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग के कारण:

- लद्दाख की विशिष्ट भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण स्थानीय समुदाय अधिक मजबूत संवैधानिक सुरक्षा चाहते हैं। उनकी प्रमुख चिंताओं में स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और प्रथागत व्यवस्थाओं का संरक्षण, बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि अधिग्रहण की आशंकाओं से सुरक्षा तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि शामिल हैं।
- इसके अलावा, पर्यटन, खनन, बुनियादी ढाँचे और अन्य विकास परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस मांग का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।
- यह मांग भारत की विविध सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संरक्षित करने की व्यापक संवैधानिक भावना को भी दर्शाती है।

प्रस्तावित अनुच्छेद 371-K

- छठी अनुसूची को लद्दाख में लागू करने के विकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा संविधान के भाग XXI में नया अनुच्छेद 371-K जोड़ने का प्रस्ताव भी सामने आया है। यह भाग अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत लद्दाख के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायी निकाय स्थापित करने की परिकल्पना है, जबकि उसका केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा बरकरार रहेगा।
- यह निकाय मौजूदा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs), पंचायतों और अन्य स्थानीय संस्थाओं के साथ कार्य कर सकता है। हालाँकि, इसकी वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

प्रस्तावित व्यवस्था से जुड़े प्रमुख प्रश्नः

- इस मॉडल के अंतर्गत निर्वाचित निकाय और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन आवश्यक होगा। कराधान, बजट निर्माण, व्यय और स्थानीय संसाधनों के उपयोग से संबंधित वित्तीय अधिकारों का निर्धारण भी महत्त्वपूर्ण होगा।
- इसके अतिरिक्त, LAHDC, पंचायतों और प्रस्तावित विधायी निकाय के बीच अधिकारों के दोहराव को रोकने के लिए संस्थागत समन्वय आवश्यक है।
- लद्दाख की चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं के निकट सामरिक स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्थानीय स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करना भी एक प्रमुख चुनौती होगी।

मुख्य परीक्षा मॉडल हल प्रश्न पत्र



सामान्य अध्ययन- पेपर III (आर्थिक विकास)

प्रश्न : भारत-चीन व्यापार घाटे के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। यह घाटा भारत की औद्योगिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसके समाधान के लिए आवश्यक उपाय सुझाइए। (250 शब्द)

उत्तर: भारत और चीन के बीच बढ़ता व्यापार घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चुनौती है। वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में द्विपक्षीय व्यापार 144.45 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जबकि भारत का व्यापार घाटा 105.93 अरब डॉलर रहा। यह स्थिति भारत की आयात निर्भरता और घरेलू विनिर्माण की चुनौतियों को दर्शाती है।

व्यापार घाटे के प्रमुख कारण:

इस व्यापार घाटे का प्रमुख कारण चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, विद्युत उपकरण, रसायन तथा औद्योगिक कच्चे माल का बड़े पैमाने पर आयात है। इसके विपरीत, चीन को भारत के निर्यात में विविधता और मूल्यवर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है। चीन की प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमता, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ तथा मजबूत औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाएँ भी इस असंतुलन को बढ़ाती हैं।

औद्योगिक सुरक्षा एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव:

बढ़ता व्यापार घाटा भारत की औद्योगिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए गंभीर चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधि, सौर ऊर्जा और दूरसंचार जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात निर्भरता वैश्विक तनाव या आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। इससे घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ता है तथा रणनीतिक क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता उत्पन्न होती है।

समाधान के लिए आवश्यक उपाय:

इस समस्या के समाधान के लिए भारत को घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं को प्रभावी बनाने तथा अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, निर्यात में विविधता, व्यापार सुगमता, कौशल विकास और वैकल्पिक वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही, गुणवत्ता मानकों और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजारों में पहुँच बढ़ाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत को चीन के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने के बजाय आर्थिक निर्भरता कम करने, घरेलू औद्योगिक क्षमता मजबूत करने और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की संतुलित रणनीति अपनानी चाहिए। इससे दीर्घकाल में भारत की आर्थिक सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता और आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

सामान्य अध्ययन- पेपर II (शासन, संविधान)

प्रश्न: मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चुनावी शुद्धता सुनिश्चित करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है, लेकिन इससे पात्र मतदाताओं के बहिष्करण की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए तथा निष्पक्ष एवं समावेशी पुनरीक्षण के उपाय सुझाइए। (250 शब्द)

उत्तर: मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, विश्वसनीय और निष्पक्ष बनाने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना तथा अपात्र, मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों के नामों को नियमानुसार हटाना है। हालाँकि, प्रक्रिया में त्रुटियाँ होने पर पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार से वंचित होने की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है।

चुनावी शुद्धता सुनिश्चित करने में SIR की भूमिका

SIR मतदाता सूची को अद्यतन करने, दोहरे पंजीकरण की पहचान करने तथा मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नामों की जाँच करने में सहायक है। इससे फर्जी मतदान की संभावनाएँ कम होती हैं और चुनावों की विश्वसनीयता मजबूत होती है। शुद्ध मतदाता सूची स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा लोकतांत्रिक वैधता के लिए आवश्यक है।

पात्र मतदाताओं के बहिष्करण की आशंकाएँ

पुनरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की जटिल माँग, नाम या पते में छोटी त्रुटियाँ तथा प्रशासनिक लापरवाही के कारण पात्र मतदाताओं के नाम हट सकते हैं। प्रवासी श्रमिकों, गरीबों, बेघर व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जागरूकता की कमी तथा निर्धारित समय में आपत्ति या दावा प्रस्तुत न कर पाना भी बहिष्करण का कारण बन सकता है। इससे समान राजनीतिक भागीदारी और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की भावना प्रभावित होती है।



सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हेतु समसामयिक विषयों पर आधारित प्रश्न

सामान्य अध्ययन

प्रश्न 1. "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अधिकारों का दावा करने के बावजूद, भारत में परिवहन एवं सार्वजनिक अवसंरचना तक दिव्यांगों की पहुँच सीमित है।" 'सुगम्य भारत अभियान' के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए हवाई यात्रा और सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी बनाने हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। **(150 शब्द, 10 अंक) (सामान्य अध्ययन, पेपर- II, सामाजिक न्याय)**

प्रश्न 2. "प्राचीन भारतीय इतिहास में राजदंड (सेंगोल) जैसे प्रतीक केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं दर्शाते थे, बल्कि वे 'धर्मपरायण शासन' और शासक की नैतिक जवाबदेही का प्रतिनिधित्व करते थे।" चोल और दक्षिण भारतीय राजवंशों की परंपराओं के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। **(150 शब्द, 10 अंक) (सामान्य अध्ययन, पेपर- I, भारतीय विरासत एवं संकृति)**

प्रश्न 3. "उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के बीच बेसर शैली एक स्थापत्य सेतु का काम करती है।" मुख्य विशेषताओं और प्रमुख उदाहरणों के साथ द्रविड़ और बेसर स्थापत्य शैलियों के अंतर को स्पष्ट कीजिए।
(250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन, पेपर- I, भारतीय विरासत एवं संकृति)

प्रश्न 4. "बच्चों और किशोरों में तेजी से बढ़ता मोटापा केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि यह भविष्य में गैर-संचारी रोगों (NCDs) और सामाजिक-मानसिक चुनौतियों का एक बड़ा स्रोत बन रहा है।" विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया दिशानिर्देशों के आलोक में चर्चा कीजिए कि भारत में बाल मोटापे से निपटने के लिए बहु-क्षेत्रीय रणनीति (Multi-sectoral Strategy) की आवश्यकता क्यों है?
(150 शब्द, 10 अंक) (सामान्य अध्ययन, पेपर- II, सामाजिक न्याय)

प्रश्न 5. "डिजिटल युग में पूर्ण साक्षरता का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल और वित्तीय साक्षरता भी शामिल है।" 'उल्लास' (ULLAS) योजना के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि वयस्क शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखने के अवसर किस प्रकार हाशिए पर मौजूद समुदायों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण कर सकते हैं? **(150 शब्द, 10 अंक) (सामान्य अध्ययन, पेपर- II, सामाजिक न्याय)**

प्रश्न 6. "भारत में आर्थिक असमानता और व्यावसायिक पृथक्करण की जड़ें पारंपरिक जाति व्यवस्था में गहराई से जुड़ी हुई हैं।" हाथ से मैला ढोने और असुरक्षित स्वच्छता कार्यों के उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक परिवर्तन के बावजूद कुछ विशिष्ट व्यवसायों में जातिगत जुड़ाव किस प्रकार बना हुआ है? **(250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन, पेपर- I, भारतीय समाज)**

प्रश्न 7. "आधुनिक भारतीय शहर एक तरफ आर्थिक अवसरों का केंद्र हैं, तो दूसरी तरफ वे आवासीय पृथक्करण और सामाजिक दूरी के नए रूपों को जन्म दे रहे हैं।" समावेशी शहरी स्थान और सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करने में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। **(150 शब्द, 10 अंक) (सामान्य अध्ययन, पेपर- I, भारतीय समाज)**

प्रश्न 8. "फसल अवशेषों और जैविक कचरे को बायोगैस में बदलना पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने और किसानों की आय दोगुनी करने का दोहरा लाभ प्रदान करता है।" जीओबीएआर-धन योजना के तहत दी जाने वाली पूंजीगत सहायता और क्लस्टर-आधारित पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व की समीक्षा कीजिए। **(150 शब्द, 10 अंक) (सामान्य अध्ययन, पेपर- III, पर्यावरण एवं पारिस्थिकी)**

वैकल्पिक विषय

लोक प्रशासन (PAPER II)

प्रश्न. "द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट (SPIR) 2026" भारत में अपराध प्रबंधन और पुलिस जवाबदेही के बुनियादी ढांचे पर गंभीर सवाल उठाती है। शिकायत निवारण प्रक्रियाओं में स्वचलित 'जीरो-एफआईआर' (Zero-FIR) और बैंक खातों को त्वरित फ्रीज करने जैसे डिजिटल प्रशासनिक सुधारों की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह रिपोर्ट पुलिस-नागरिक इंटरफेस में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने में कहाँ तक सक्षम है? **(20 अंक)**

राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (PSIR) (PAPER II)

प्रश्न: "संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की 'उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2026' (The Point of Return) वैश्विक पर्यावरण शासन की विफलता और उत्तर-दक्षिण विभाजन को रेखांकित करती है।" पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य के उल्लंघन के आलोक में, विकसित देशों की 'तिहासिक जिम्मेदारी' (Historical Responsibility) और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की 'उत्सर्जन तीव्रता' (Emissions Intensity) रणनीति के बीच वैचारिक द्वंद्व का मूल्यांकन कीजिए। **(20 अंक)**



राष्ट्रीय एवं सामाजिक परिदृश्य

डिजिटल कृषि मिशन के तहत 11 करोड़ डिजिटल पहचान पत्र

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मार्च 2027 की समय-सीमा से 5 महीने पहले (23 अक्टूबर 2026 तक) 11 करोड़ किसानों के लिए विशिष्ट किसान पहचान पत्र (Farmer ID) तैयार कर एक ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है।

किसान आईडी (किसान पहचान पत्र)

- यह आधार-आधारित डिजिटल पहचान है, जो राज्य के भूमि रिकॉर्ड से गतिशील रूप से जुड़ी है।
- **इसके मुख्य लाभ:**
  - योजनाओं तक निर्बाध पहुँच और कागजरहित/संपर्करहित त्वरित फसल ऋण।
  - इसके डेटाबेस को 'फार्मर्स रजिस्ट्री' कहा जाता है, जो एग्री-स्टैक (Agri-Stack) की तीन मुख्य रजिस्ट्रियों (फार्मर्स रजिस्ट्री, जियो-संदर्भित गांव के नक्शे, और बोई गई फसल की रजिस्ट्री) में से एक है।

उद्देश्य

इसका उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का निर्माण, डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DGCES) लागू करना और किसान-केंद्रित डिजिटल समाधान देना है।

कृषि हेतु DPI के तीन मुख्य स्तंभ:

- **एग्री-स्टैक:** किसानों, फसलों और भूमि नक्शों की डिजिटल डायरेक्टरी।
- **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली:** सुदूर संवेदन द्वारा मौसम, मिट्टी और जल संसाधनों की भू-स्थानिक जानकारी।
- **मृदा प्रोफाइल मैपिंग:** मिट्टी की नमी व पोषक तत्वों का मानचित्रण।

ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में प्रस्तावित संशोधन

केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और जीवन की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में व्यापक सुधार का प्रस्ताव दिया है।

प्रस्तावित मुख्य बदलाव

- **सख्त लर्नर टेस्ट:** लर्नर लाइसेंस के लिए पासिंग मार्क्स 60% से बढ़ाकर 75% करने, प्रक्रिया अवधि 7 से 15 दिन करने और 30 मिनट का सुरक्षित-ड्राइविंग ट्यूटोरियल अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
- **दस्तावेजीकरण:** आयु, पता और पहचान के लिए अलग प्रमाण देने होंगे (जैसे पासपोर्ट, पैन, बिजली/गैस बिल आदि)। विदेशी आवेदकों को वैध भारत प्रवास साबित करना होगा।
- **सरलीकृत सेवाएं:** नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस, नाम/पता परिवर्तन आदि के लिए एक एकीकृत 'फॉर्म 2A' का प्रस्ताव है। नाम या पता बदलने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- **मानकीकृत PVC कार्ड:** PVC/लेमिनेटेड कार्ड प्रारूप निर्धारित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीयता दर्ज होगी।

ड्राफ्ट संशोधन का महत्व

- **सड़क सुरक्षा में सुधार:** उच्च मूल्यांकन मानदंड यातायात नियमों और सुरक्षित-ड्राइविंग प्रथाओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देगा।
- **जीवन की सुगमता (Ease of Living):** शुल्क छूट, ऑनलाइन आवेदन और सरलीकृत दस्तावेजीकरण से अनुपालन लागत और लाइसेंसिंग कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने में कमी आएगी।
- **प्रशासनिक पारदर्शिता:** निर्धारित निर्णय समयसीमा और अस्वीकृति के दर्ज कारण जवाबदेही में सुधार करेंगे।

भारत का पोषक तत्वों से भरपूर बैंगनी आलू

बायोफोर्टिफिकेशन (जैव-संवर्धन) अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण परिणाम उन्नत पोषण मूल्य वाले रंगीन आलू की किस्मों का विकास रहा है।

विवरण

- पर्याप्त कैलोरी सेवन के बावजूद 'अदृश्य भूख' (Hidden hunger) एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है।
- यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोग पर्याप्त भोजन तो करते हैं, लेकिन उनके आहार में आवश्यक विटामिन और खनिजों की कमी होती है।
- इस चुनौती से निपटने के लिए, वैज्ञानिक तेजी से उन्नत पोषण मूल्य वाली बायोफोर्टिफाइड (जैव-संवर्धित) फसलों का विकास कर रहे हैं।
- बायोफोर्टिफिकेशन पादप प्रजनन (plant breeding) के माध्यम से फसलों की पोषक तत्व सामग्री में सुधार करता है, जिससे भोजन स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर के आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में सक्षम होता है।
- ICAR-CPRI (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान) ने कुफरी नीलकंठ, कुफरी मानिक और कुफरी जामुनिया सहित पोषक तत्वों से भरपूर रंगीन आलू की किस्में विकसित की हैं।

कुफरी जामुनिया

- कुफरी जामुनिया को वर्ष 2024 में जारी किया गया था। इस किस्म में कुफरी मानिक और कुफरी नीलकंठ की तुलना में एस्कॉर्बिक एसिड, एंथोसियानिन और कैरोटीनॉयड का उच्च स्तर मौजूद है।
- इसका बैंगनी गूदा (purple flesh) उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री और बेहतर पोषण गुणवत्ता को दर्शाता है, जिसमें जिंक और आयरन का बढ़ा हुआ स्तर भी शामिल है।



चीन द्वारा TBM निर्यात पर प्रतिबंध और भारत की रणनीतिक चुनौती

चीन ने टनल बोरिंग मशीनों (TBM) के निर्यात के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने की घोषणा की है, जो 18 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। ये मशीनें मेट्रो, राजमार्ग और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की सुरंगों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण हैं।

- **भारत पर प्रभाव:** लगभग 3,000 टन वजनी TBM पारंपरिक विस्फोटक तकनीकों की तुलना में सुरक्षित खुदाई में सहायक हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना की 7 किमी लंबी समुद्र के नीचे की सुरंग के लिए इनकी उपलब्धता महत्त्वपूर्ण है। चीन के प्रतिबंधों से परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ने का जोखिम है।
- **व्यापारिक तनाव:** वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 69 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 27% अधिक है। भारत चीनी वस्तुओं के विरुद्ध डंपिंग-रोधी जाँच बढ़ाने के साथ चुनिंदा क्षेत्रों में चीनी निवेश को भी अवसर दे रहा है।
- **वैश्विक परिप्रेक्ष्य:** दुर्लभ-पृथ्वी चुंबकों के बाद TBM पर नियंत्रण चीन की महत्त्वपूर्ण तकनीकों और उपकरणों पर पकड़ को व्यापारिक कूटनीति के साधन के रूप में दर्शाता है।
- **निष्कर्ष:** भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता, स्वदेशी TBM निर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा रणनीतिक भंडारण को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि महत्त्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएँ बाहरी निर्भरता से प्रभावित न हों।

भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ। इसके तहत न्यूजीलैंड ने भारतीय निर्यात पर आयात शुल्क समाप्त किया है, जबकि भारत ने समझौते के प्रावधानों के अनुसार न्यूजीलैंड के 95% आयात पर शुल्क में कटौती की है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

- **भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ:** वस्त्र, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद और औषधि उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। कृषि उत्पादों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। इससे निर्यात विविधीकरण, रोजगार सृजन और द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **घरेलू क्षेत्रकों का संरक्षण:** भारत ने दूध, पनीर, मक्का, प्याज और चीनी सहित संवेदनशील उत्पादों को शुल्क रियायतों से बाहर रखा है। सेब, कीवी और मनुका शहद जैसे कुछ उत्पादों के लिए शुल्क-दर कोटा (TRQ) व्यवस्था अपनाई गई है।
- **रोजगार एवं कौशल गतिशीलता:** भारतीय विद्यार्थियों और कुशल पेशेवरों के लिए अध्ययन, रोजगार तथा अस्थायी वीजा के अवसर बढ़ाए गए हैं। पात्र पेशेवरों के लिए अधिकतम 5,000 वीजा की व्यवस्था है।
- **निष्कर्ष:** समझौते की सफलता निर्यात क्षमता, गुणवत्ता मानकों के अनुपालन, निवेश क्रियान्वयन और किसानों के हितों के संरक्षण पर निर्भर करेगी।

भारत-चीन व्यापार घाटा: चुनौतियाँ एवं समाधान

वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार 25.4% बढ़कर 144.45 अरब डॉलर हो गया। भारत का चीन को निर्यात 40.7% बढ़कर 19.26 अरब डॉलर, जबकि आयात 23.3% बढ़कर 125.19 अरब डॉलर रहा। परिणामस्वरूप व्यापार घाटा 105.93 अरब डॉलर तक पहुँच गया।

- **व्यापार घाटे के प्रमुख कारण:** भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और औद्योगिक मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए चीन पर निर्भर है। इसके विपरीत, भारत का निर्यात सीमित उत्पादों तक केंद्रित है। चीन में भारतीय उत्पादों को गैर-शुल्क बाधाओं तथा बाजार पहुँच संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **रणनीतिक प्रभाव:** चीनी आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भरता भारतीय विनिर्माण, औद्योगिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करती है। दुर्लभ मृदा तत्वों तथा उर्वरकों पर निर्यात प्रतिबंध भी आर्थिक अनिश्चितता बढ़ाते हैं।
- **समाधान:** भारत को घरेलू विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा उच्च मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना चाहिए। औषधियों, कृषि उत्पादों और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में विविधता लाने के साथ चीन से बाजार पहुँच संबंधी बाधाओं पर संवाद करना आवश्यक है।
- **निष्कर्ष:** व्यापार घाटे को कम करने के लिए संरक्षणवाद के बजाय प्रतिस्पर्धात्मकता, निर्यात विविधीकरण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान देना चाहिए।

वैश्विक मौद्रिक नीति: मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के बीच संतुलन

पश्चिम एशिया संघर्ष, कच्चे तेल की ऊँची कीमतें, अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि तथा लगातार मुद्रास्फीति ने वैश्विक केंद्रीय बैंकों के सामने चुनौती उत्पन्न की है। विश्व बैंक के अनुसार, वैश्विक आर्थिक विकास दर 2025 के 2.9% से घटकर 2026 में 2.6% रहने का अनुमान है।

- **वर्ष 2022 से अंतर:** वर्ष 2022 में केंद्रीय बैंकों ने अत्यंत निम्न ब्याज दरों से मौद्रिक सख्ती शुरू की थी। वर्तमान में ब्याज दरें पहले से ऊँचे स्तर पर हैं। अतिरिक्त वृद्धि से निवेश, उपभोग और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं, जबकि शीघ्र कटौती मुद्रास्फीति बढ़ा सकती है।
- **प्रमुख कारक:** ब्रेंट कच्चा तेल लगभग 105 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँचने से उत्पादन एवं परिवहन लागत बढ़ी है। अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि से उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूँजी निकासी और मुद्रा अवमूल्यन का जोखिम बढ़ता है।
- **भारत पर प्रभाव:** महँगा तेल और कमजोर रुपया आयात बिल, चालू खाता घाटे तथा घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं। इससे भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश सीमित हो सकती है।

रिपोर्ट एवं सूचकांक



लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, 2026

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) की द्विवार्षिक 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, 2026' के अनुसार, 1970 और 2022 के बीच 52 वर्षों में निगरानी की गई रीढ़धारी (कशेरुकी) जीवों-स्तनधारी, मछली, पक्षी और उभयचर-की आबादी के औसत आकार में 73% की गिरावट आई है।

विवरण

- यह रिपोर्ट 'जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन' (ZSL) द्वारा तैयार लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI) के आंकड़ों पर आधारित है।
- वर्ष 2026 के इस मूल्यांकन में कशेरुकी जीवों की 5,790 प्रजातियों की 35,803 आबादी रुझानों (population trends) को शामिल किया गया है।

प्रमुख निष्कर्ष

- सबसे अधिक गिरावट मीठे पानी के पारिस्थितिकी प्रणालियों (freshwater ecosystems) में 85% दर्ज की गई, इसके बाद स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में 69% और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों में 59% की गिरावट आई।
- निगरानी की गई लगभग आधी आबादी स्थिर थी या उसमें वृद्धि हो रही थी, जो यह दर्शाता है कि संरक्षण प्रयासों के माध्यम से प्रजातियों की आबादी में आती गिरावट को पलटा जा सकता है।
- **प्रमुख खतरे:** आवास का विनाश और क्षरण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियों का प्रभाव, प्रदूषण और बीमारियाँ पारिस्थितिकी प्रणालियों तथा वन्यजीवों की आबादी में परिवर्तन के मुख्य कारक हैं।

वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) 2026

हाल ही में वेल्टहंगरहिल्फ (Welthungerhilfe) और कंसर्न वर्ल्डवाइड (Concern Worldwide) द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index - GHI) 2026 जारी किया गया है।

- **भारत की स्थिति:** GHI 2026 में भारत **122 देशों में 100वें स्थान** पर है। **24.1 स्कोर** के साथ भारत को **'गंभीर'** (Serious) श्रेणी में रखा गया है।
- **थीम:** "खाद्य सुरक्षा के बिना कोई सुरक्षा नहीं" (No Security without Food Security)।
- **वैश्विक स्थिति:** वैश्विक औसत स्कोर 18.1 (मध्यम) है। सोमालिया (122वीं रैंक) सबसे निचले पायदान पर है।
- **पड़ोसी देश:** चीन (रैंक 1-24), श्रीलंका (53), नेपाल (72), बांग्लादेश (84) और पाकिस्तान (106)।

GHI गणना व भारत के घटक संकेतक

GHI 100-अंकों के पैमाने पर 4 संकेतकों (मानकीकृत भार) के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन करता है:

संकेतक	मापन क्षमता	भार	भारत का मान (2026)
अल्पपोषण	अपर्याप्त कैलोरी सेवन	1/3	9.8%
बाल ठिगनापन	उम्र के अनुसार कम लंबाई (दीर्घकालिक)	1/6	29.3% (2000 के 50% से सुधार)
बाल दुबलापन	लंबाई के अनुसार कम वजन (तीव्र)	1/6	19.0% (उच्च चिंता का विषय)
बाल मृत्यु दर	5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु	1/3	2.7%

भारत की दीर्घकालिक प्रवृत्ति

भारत के GHI स्कोर में लगातार सुधार दर्ज किया गया है: 2000 (38.1) → 2012 (28.8) → 2026 (24.1)। वर्ष 2000 से अब तक स्कोर में 14 अंकों की गिरावट आई है, जो पोषण सुधार को दर्शाती है।

नीतिगत निहितार्थ व आगे की राह

- **मातृ एवं बाल पोषण:** गर्भावस्था और जीवन के पहले 1,000 दिनों में लक्षित सहायता देना।
- **आहार विविधता:** केवल खाद्यान्न उपलब्धता के स्थान पर सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- **अभिसरण:** पोषण कार्यक्रमों को स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता (WASH) और PDS के साथ एकीकृत करना।
- **जिला-स्तरीय हस्तक्षेप:** स्थानीय विषमताओं को दूर करने के लिए विकेंद्रीकृत योजनाएं बनाना।

उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2026

13 अक्टूबर 2026 को, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अपनी 17वीं उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2026 जारी की, जिसका शीर्षक "द प्वाइंट ऑफ रिटर्न" (The Point of Return) है।

सामाजिक परिदृश्य

भारतीय सेना में व्यभिचार और सैन्य अनुशासन

भारतीय सेना में व्यभिचार और सैन्य अनुशासन एक अत्यंत संवेदनशील विषय है, जो हाल ही में आर्मर्ड कोर के एक अधिकारी को जारी कारण बताओ नोटिस के बाद पुनः चर्चा में आया।

व्यभिचार की कानूनी स्थिति (IPC धारा 497)

- पूर्व में, धारा 497 के तहत किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाना अपराध था, जिसमें केवल पुरुष को 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था।
- जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन था। हालांकि, इसे तलाक का नागरिक आधार बनाए रखा गया।

सशस्त्र बलों में कार्रवाई का आधार

- **अनुच्छेद 33:** संसद को सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखने हेतु मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति देता है।
- **सेना अधिनियम, 1950:** इसकी धारा 45 (अयोग्य आचरण) और धारा 63 (सैन्य अनुशासन के प्रतिकूल कार्य) के तहत व्यभिचारी आचरण पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जोसेफ शाइन का फैसला सैन्य बलों की अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को बाधित नहीं करता।

अपराध की श्रेणी से हटाने के पक्ष व विपक्ष :

- **पक्ष:** लैंगिक समानता, व्यक्तिगत स्वायत्तता और कानूनी प्रणाली का बोझ कम होना।
- **विपक्ष:** वैवाहिक अखंडता, सामाजिक-नैतिक मूल्यों की रक्षा और बेवफाई पर कानूनी निवारण का ह्रास।

महिला-नेतृत्व : विकास और लैंगिक न्याय

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने हाल ही में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक न्याय पर परामर्श बैठक आयोजित की।

महिला-नेतृत्व: विकास व न्याय

- यह महिलाओं को विकास के केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है। इसमें वितरणात्मक न्याय (संसाधनों व अवसरों का निष्पक्ष वितरण) और क्षतिपूर्ति न्याय (हानि की भरपाई व सुरक्षात्मक उपाय) दोनों शामिल हैं।

संवैधानिक व कानूनी ढांचा

- **अनुच्छेद 14, 15, 15(3) व 300A:** लिंग-आधारित भेदभाव का निषेध, महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान और संपत्ति का अधिकार प्रदान करते हैं।
- **हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005:** बेटियों को बेटों के समान सहदायाकी अधिकार देता है।
- **न्यायिक मिसालें:** विनीता शर्मा मामला (2020) में SC ने बेटियों के जन्मसिद्ध सहदायाकी अधिकार को सही ठहराया। कंज्यूमर एजुकेशन सेंटर मामला (1995) में सामाजिक-आर्थिक न्याय को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया।

चुनौतियाँ

पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड, कानूनी अधिकारों व वास्तविक स्वामित्व के बीच का अंतर तथा महंगी और जटिल अदालती प्रक्रियाएं न्याय तक पहुंच में बाधा हैं।

प्रमुख सरकारी पहलें

- **मिशन शक्ति:** 'संबल' और 'सामर्थ्य' घटकों द्वारा सुरक्षा व सशक्तिकरण।
- **नाव्या (NAVYA - 2025):** PMKVY 4.0 के तहत 16-18 वर्ष की लड़कियों को AI, साइबर सुरक्षा व डिजिटल कौशल देना।
- **अन्य:** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, NALSA (मुफ्त कानूनी सहायता), PMMVY और STEM शिक्षा हेतु विज्ञान ज्योति योजना।

राज्यों द्वारा शहरी आजीविका मिशन हेतु तत्काल धनराशि की मांग

कम से कम पांच राज्यों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर रेखांकित किया है कि प्रमुख शहरी आजीविका मिशन को वित्तीय सहायता के संबंध में स्पष्टता की कमी से शहरी गरीबों की सामाजिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) ने 2014 से 2024 के दौरान 10 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन किया। इसके बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा चलाया गया पायलट प्रोजेक्ट 'DJAY-S' दिसंबर 2025 तक चला।

DAY-NULM की विशेषताएं:

- **सशक्तिकरण व वित्तपोषण:** शहरी गरीब महिलाओं को SHGs में संगठित कर 10,000 की परिक्रमी निधि, रियायती ऋण और बैंक लिंकेज प्रदान करना।
- **कौशल विकास:** कौशल प्रशिक्षण और सूक्ष्म उद्यमों द्वारा आजीविका के अवसर बढ़ाना।

संक्रमण काल की चिंताएं

- **वित्तपोषण व आजीविका संकट:** तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में धन की कमी, लंबित देनदारियों और कर्मचारियों के वेतन पर अनिश्चितता से SHGs के संचालन और बैंक लिंकेज में व्यवधान आ रहा है।

राजव्यवस्था एवं शासन



धर्मांतरण और आरक्षण: सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने The Secretary to Government v. Sameer Ahamed N. मामले में तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 के आदेश को निरस्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। आदेश में कुछ हिंदू सामाजिक श्रेणियों से इस्लाम अपनाने वालों को पात्रता सिद्ध किए बिना पिछड़ा वर्ग मुस्लिम प्रमाणपत्र देने का प्रावधान था।

- **न्यायालय का निर्णय:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल धर्मांतरण से किसी अधिसूचित पिछड़े मुस्लिम समुदाय की सदस्यता स्वत: प्राप्त नहीं होती। आरक्षण की पात्रता के लिए संवैधानिक मानदंडों और प्रमाणों के आधार पर संबंधित समुदाय की पहचान आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मुस्लिम समुदाय पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं हो सकते।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 341:** अनुसूचित जातियों की पहचान का प्रावधान करता है। 1950 के राष्ट्रपति आदेश के तहत वर्तमान में SC दर्जा हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वालों तक सीमित है।
- **अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4):** सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और आरक्षण सक्षम करते हैं।
- **अनुच्छेद 342A:** पिछड़े वर्गों की पहचान संबंधी संवैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।
- **व्यापक महत्त्व:** मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के संकेतकों पर बल दिया। सच्चर समिति ने मुस्लिम समुदाय की वंचनाओं को रेखांकित किया, लेकिन सामान्य पिछड़ेपन के प्रमाण से किसी विशिष्ट अधिसूचित समुदाय की सदस्यता स्वत: सिद्ध नहीं होती।
- **निष्कर्ष:** निर्णय आरक्षण में प्रमाण-आधारित पहचान, संवैधानिक समानता और लक्षित सामाजिक न्याय के महत्त्व को रेखांकित करता है।

इंटरनेट तक पहुँच का मौलिक अधिकार एवं बाल सुरक्षा

15 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट तक पहुँच एवं उसके उपयोग के अधिकार को अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। न्यायालय ने ऑनलाइन शोषण रोकने के लिए बच्चों की इंटरनेट पहुँच पर पूर्ण प्रतिबंध को अनुचित माना।

- **संवैधानिक आधार एवं न्यायिक विकास:** अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) और प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ (2025) के निर्णयों ने डिजिटल अधिकारों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **पूर्ण प्रतिबंध की सीमाएँ:** इससे बच्चों की शिक्षा, सूचना एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रभावित हो सकती है। आयु सत्यापन से निजता संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं तथा बच्चे असुरक्षित, अनियंत्रित मंचों की ओर जा सकते हैं।
- **आवश्यक उपाय:** बच्चों के लिए सुरक्षित खाते, अभिभावकीय निगरानी, निजता-सुरक्षा, प्रभावी सामग्री नियंत्रण, अवैध सामग्री को शीघ्र हटाने तथा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए।
- **निष्कर्ष:** बाल सुरक्षा और डिजिटल स्वतंत्रता में संतुलन आवश्यक है। सरकार एवं डिजिटल मंचों को लक्षित, आनुपातिक और जवाबदेह उपाय अपनाने चाहिए, ताकि सुरक्षा के नाम पर बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR): मतदाता सूची का अद्यतन

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विरोध के बीच निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की घोषणा की है। वर्ष 2026 में यह वार्षिक प्रक्रिया नहीं हुई थी। इसका उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अद्यतन करना है।

- **संवैधानिक एवं कानूनी आधार:** संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का प्रावधान करती है। पंजीकरण नियम, 1960 भी इस प्रक्रिया को विनियमित करते हैं।
- **प्रमुख समय-सीमा:** मतदान केंद्रों का युक्तिकरण 2 नवंबर 2026 तक, मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर को तथा दावे एवं आपत्तियाँ 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक स्वीकार की जाएँगी। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 तथा नाम, पते में सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 उपयोगी हैं।
- **SSR और SIR में अंतर:** SSR मौजूदा मतदाता सूची को आधार मानकर नियमित संशोधन करता है, जबकि SIR में मतदाताओं को अपनी पात्रता पुन: प्रमाणित करनी पड़ती है।



भारत–अजरबैजान संबंध: कूटनीतिक मतभेदों के बीच सहयोग की संभावनाएँ

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अजरबैजान यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न द्विपक्षीय तनाव को कम करना तथा संबंधों को सामान्य बनाना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन और कश्मीर मुद्दे पर उसका रुख भारत के साथ मतभेदों के प्रमुख कारण रहे हैं।

- **हालिया कूटनीतिक पहल:** दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के बेहतर समन्वय तथा भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम में अजरबैजानी पेशेवरों की भागीदारी बढ़ाने पर सहमति बनी।
- **द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व:** भारत ने दिसंबर 1991 में अजरबैजान को मान्यता दी तथा फरवरी 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। अजरबैजान कैस्पियन क्षेत्र का प्रमुख ऊर्जा उत्पादक है। ONGC विदेश की वहाँ तेल एवं गैस परियोजनाओं में भागीदारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देती है। INSTC भारत को रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने का वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। बाकू स्थित ऐतिहासिक अग्नि मंदिर दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक है।
- **प्रमुख चुनौतियाँ:** कश्मीर मुद्दे पर मतभेद, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान की निकटता तथा आर्मेनिया के साथ भारत के बढ़ते रक्षा सहयोग से द्विपक्षीय विश्वास प्रभावित हुआ है।
- **निष्कर्ष:** भारत को संवाद, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक संतुलन के माध्यम से संबंधों को मजबूत करना चाहिए। व्यावहारिक कूटनीति एवं पारस्परिक हितों पर आधारित दृष्टिकोण क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा दे सकता है।

चीन में वृद्ध होती जनसंख्या: भारत के लिए चुनौतियाँ एवं अवसर

चीन की राजधानी बीजिंग के वर्ष 2035 तक 'अति-वृद्ध समाज' (Super-Aged Society) बनने का अनुमान है। इसके प्रमुख कारण घटती जन्मदर, बढ़ती जीवन प्रत्याशा और कार्यशील आयु वर्ग की घटती आबादी हैं।

- **अति-वृद्ध समाज का अर्थ:** सामान्य जनसांख्यिकीय वर्गीकरण के अनुसार, जब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की आबादी कुल जनसंख्या की 30% या अधिक हो जाती है, तो उसे अति-वृद्ध समाज कहा जाता है। बीजिंग में 2025 के अंत तक लगभग 24.3% आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु की थी।
- **चीन पर प्रभाव:** वृद्धावस्था के कारण श्रमशक्ति में कमी, पेंशन एवं स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि और आर्थिक विकास की गति धीमी होने की आशंका है। वहीं, वृद्धजन देखभाल, स्वास्थ्य सेवाओं और सहायक तकनीकों से जुड़ी 'सिल्वर इकोनॉमी' के अवसर भी बढ़ेंगे।
- **भारत के लिए चुनौतियाँ एवं अवसर:** भारत की अपेक्षाकृत युवा आबादी विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अवसर प्रदान करती है। किंतु अनौपचारिक रोजगार, सीमित पेंशन कवरेज, कमजोर वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाएँ तथा क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असमानताएँ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी 2050 तक लगभग 20% होने का अनुमान है।
- **आगे की राह:** भारत को कौशल विकास, रोजगार सृजन, महिला श्रम भागीदारी, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धजन-अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाना चाहिए।
- **निष्कर्ष:** भारत को वर्तमान जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करते हुए भविष्य की वृद्धावस्था संबंधी चुनौतियों के लिए समय रहते तैयारी करनी होगी।

भारत–इजराइल संबंध: सामरिक सहयोग के बदलते आयाम

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर द्विपक्षीय संबंधों तथा पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी तथा 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। वर्ष 2017 में दोनों देशों ने संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- **रक्षा एवं सुरक्षा:** इजराइल भारत को ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी प्रणालियों जैसी उन्नत रक्षा तकनीक उपलब्ध कराता है। यह सहयोग 'मेक इन इंडिया' तथा रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकता है।
- **व्यापार एवं निवेश:** दोनों देशों के बीच रक्षा, उच्च प्रौद्योगिकी, कृषि और जल प्रबंधन में निवेश एवं व्यापारिक सहयोग की व्यापक संभावनाएँ हैं। वर्ष 2025 में द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- **कृषि एवं जल प्रबंधन:** सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण, उच्च उत्पादकता वाली खेती तथा भारत-इजराइल उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से सहयोग बढ़ाया जा रहा है।
- **विज्ञान एवं बहुपक्षीय सहयोग:** संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और आतंकवाद-रोधी सहयोग के अतिरिक्त, दोनों देश भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के I2U2 समूह के सदस्य हैं।
- **भारत के लिए महत्त्व:** इजराइल भारत की रक्षा तकनीक, कृषि आधुनिकीकरण और जल सुरक्षा आवश्यकताओं में सहयोगी है।

योजना एवं कार्यक्रम



प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' कर दिया गया है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करती है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की पृष्ठभूमि

- **शुरुआत:** इसे 1995 में शुरू किया गया था और यह संविधान के अनुच्छेद 41 को प्रभावी बनाता है, जो राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है।
- **वित्तपोषण:** यह एक पूर्णत: केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाती है।
- **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करती है कि गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले व्यक्ति को देश में कहीं भी कम से कम न्यूनतम वित्तीय सहायता मिले।
- **घटक:** इस कार्यक्रम के मुख्य घटक शामिल हैं: वृद्धों के लिए मासिक पेंशन, विधवाओं के लिए पेंशन, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन। चौथा घटक परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर दी जाने वाली एकमुश्त पारिवारिक सहायता है।
- **संशोधित नामकरण :** नए नामकरण के तहत चारों घटकों का नाम बदलकर निम्नलिखित कर दिया गया है:
- प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना (वृद्धावस्था पेंशन हेतु)
- प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना (विधवा पेंशन हेतु)
- प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना (दिव्यांगता पेंशन हेतु)
- प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना (पारिवारिक लाभ हेतु)

पीएम इंटर्नशिप योजना के 2 वर्ष

केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित पीएम इंटर्नशिप योजना (PMIS) के कार्यान्वयन के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को शीर्ष कंपनियों में व्यावहारिक कार्य-अनुभव प्रदान करना है।

योजना के मुख्य बिंदु व योग्यता

- **लाभ:** चयन होने पर ₹9,000/माह वजीफा तथा ₹6,000 की एकमुश्त सहायता राशि मिलती है।
- **पात्रता:** 18-25 वर्ष की आयु के ऐसे युवा (10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, स्नातक व PG पास/अंतिम वर्ष के छात्र) जो पूर्णकालिक रोजगार में न हों तथा जिनकी पारिवारिक आय ₹8 लाख/वर्ष से अधिक न हो।
- **अवधि व दायरा:** 6 से 9 महीने की इंटर्नशिप। इसमें CSR व्यय के आधार पर शीर्ष कंपनियों के अलावा MSMEs और सनराइज (उभरते) क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

प्रदर्शन व बदलाव

- पात्रता में ढील (आयु वर्ग 18-25 वर्ष और PG छात्रों को शामिल करना) तथा लचीली अवधि के चलते इसके तीसरे दौर (अप्रैल से दिसंबर) में युवाओं की भागीदारी में 67% से 100% तक की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

पीएम इंटर्नशिप योजना (PMIS) का महत्व

- **रोजगार तत्परता (Job Readiness) में सुधार:** व्यावहारिक उद्योग अनुभव से अकादमिक योग्यताओं और कार्यस्थल की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को पाटने में मदद मिलती है।
- जनसांख्यिकी लाभांश (Demographic Dividend) का समर्थन: यह भारत की विशाल युवा आबादी को एक उत्पादक कार्यबल में बदलने में मदद कर सकता है।

भारत का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रम

भारत में वर्ष 2024-25 के दौरान वार्षिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय ₹40,794 करोड़ रहा, जिसमें 29,500 कंपनियों ने 72,000 परियोजनाओं का समर्थन किया।

CSR का कानूनी ढांचा व महत्व

- **कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 135):** निवल संपत्ति (₹500 करोड़), टर्नओवर (₹1,000 करोड़) या शुद्ध लाभ (₹5 करोड़) की सीमा पार करने वाली कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR में खर्च करना अनिवार्य है।
- **अनुसूची VII:** शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी/भुखमरी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और कौशल विकास जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- **महत्व:** यह विकास के लिए पूरक पूंजी प्रदान करता है, SDGs (3, 4 व 8) को समर्थन देता है और निजी क्षेत्र को नवाचार आधारित सामाजिक बदलाव से जोड़ता है।

प्रमुख चिंताएँ

- **क्षेत्रीय असंतुलन:** फंड आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर के बजाय कॉरपोरेट हब्स में अधिक खर्च हो रहा है।
- **विखंडन:** एकीकृत प्रयासों की कमी और छोटी, असंबंधित परियोजनाओं पर खर्च।
- **इनपुट-आधारित मूल्यांकन:** वास्तविक परिणाम और प्रभाव के बजाय केवल व्यय राशि पर ध्यान केंद्रित करना।
- **अनुपालन मानसिकता:** इसे सामाजिक प्रतिबद्धता के बजाय केवल एक औपचारिक कानूनी शर्त मानना।



अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक समूह

अक्टूबर 2026 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठकें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुईं। 12 से 18 अक्टूबर तक चली इन बैठकों में वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विकास वित्त, भू-राजनीतिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी बदलावों के प्रभावों पर चर्चा हुई। इन बैठकों में 19,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया, जो वार्षिक बैठकों के इतिहास में सर्वाधिक संख्या बताई गई।

समावेशी विकास की आवश्यकता

बैठकों में यह विचार उभरकर सामने आया कि आर्थिक लचीलापन केवल वित्तीय भंडार, सुरक्षित आपूर्ति शृंखलाओं और बुनियादी ढाँचे तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें आम नागरिकों, छोटे व्यवसायों और कमजोर समुदायों की संकटों का सामना करने की क्षमता भी शामिल होनी चाहिए। तकनीकी परिवर्तन और वैश्विक व्यापार से मिलने वाले लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

IMF एवं विश्व बैंक: उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना, भुगतान संतुलन संबंधी संकटों में सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देना तथा वैश्विक आर्थिक निगरानी करना है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई तथा यह 1945 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। IMF सदस्य देशों को आर्थिक नीतियों पर परामर्श, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण संबंधी सहयोग भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह विशेष आहरण अधिकार (SDR) जारी करता है, जो अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में कार्य करता है।

भारत के लिए महत्व

भारत के लिए इन बैठकों का महत्त्व विशेष है। भारत विकासशील देशों की ऋण-संबंधी चुनौतियों, जलवायु वित्त, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में सुधार का समर्थक रहा है। इन संस्थाओं में विकासशील देशों की प्रतिनिधित्व क्षमता बढ़ाना और वित्तीय सहायता को अधिक सुलभ बनाना भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

अक्टूबर 2026 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) वैश्विक व्यापार व्यवस्था में सुधार, विकासशील देशों की भागीदारी और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तपोषण बढ़ाने के प्रयासों के कारण चर्चा में रहा। 23 अक्टूबर को WTO सदस्यों ने संगठन के सुधार संबंधी विचार-विमर्श में प्रगति का स्वागत किया। सुधार प्रक्रिया में निर्णय-निर्माण, संगठन के मूलभूत मुद्दे, विकास और समान प्रतिस्पर्धा के अवसर जैसे विषय शामिल हैं।

आपूर्ति शृंखला वित्तपोषण: MSMEs के लिए नए अवसर

16 अक्टूबर को बैंकॉक में WTO और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने विकासशील देशों में आपूर्ति शृंखला वित्तपोषण की स्थिति की समीक्षा की। इसका उद्देश्य विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक व्यापार में भागीदारी के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराना था। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आपूर्ति शृंखला वित्तपोषण लगभग 10 अरब डॉलर तक पहुँचने की जानकारी दी गई।

Aid वित Trade: विकासशील देशों की व्यापारिक क्षमता में वृद्धि

30 अक्टूबर को WTO की 10वीं वैश्विक सहायता-व्यापार समीक्षा के दौरान सदस्यों ने 'Aid for Trade' पहल को व्यापार एवं विकास साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को व्यापारिक क्षमता, तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।

WTO: स्थापना, उद्देश्य एवं प्रमुख कार्य

WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवेला हैं। WTO का प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियम-आधारित, पारदर्शी और पूर्वानुमेय बनाना है।

- यह बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के संचालन, व्यापार वार्ताओं के लिए मंच उपलब्ध कराने, सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों के समाधान तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, WTO विकासशील देशों को व्यापार संबंधी तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है, व्यापार बाधाओं को कम करने के प्रयास करता है तथा वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। इस प्रकार, WTO वैश्विक व्यापार में स्थिरता, सहयोग और समान अवसरों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत के लिए WTO का महत्त्व: राष्ट्रीय हितों की रक्षा

- भारत के लिए WTO का महत्त्व कृषि सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा, सेवाओं में व्यापार, डिजिटल व्यापार और विकासशील देशों के विशेष एवं भिन्न व्यवहार जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से है। WTO सुधार प्रक्रिया में भारत का लक्ष्य ऐसी नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना है जो विकासशील देशों के हितों और नीतिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (UNCTAD)

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (UNCTAD) अक्टूबर 2026 में आयोजित नौवें विश्व निवेश मंच (WIF) के कारण चर्चा में रहा।



NVS–03 नेविगेशन उपग्रह और GSLV–F18 मिशन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने हाल ही में अपने नेविगेशन नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है।

मुख्य तथ्य

- **प्रक्षेपण तिथि और समय:** 30 अक्टूबर 2026 को रात 11: 51 बजे (IST) NVS–03 नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।
- **प्रक्षेपण स्थल:** यह लिफ्ट–ऑफ श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड से किया गया।
- **प्रक्षेपण यान:** इस मिशन को GSLV–F18 रॉकेट के माध्यम से अंजाम दिया गया, जो भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) की 20वीं उड़ान थी।
- **नेतृत्व और उपलब्धियां:** इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने वर्ष 2026 के लिए अपने कार्यकाल की पांचवीं बड़ी मिशन उपलब्धि दर्ज की है।

NavIC (नविक) की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं

- **ग्राउंड रिडंडेंसी (Ground Redundancy):** नविक (NavIC) के बयालालू (Byalalu) और लखनऊ स्थित नेविगेशन केंद्र संयुक्त रूप से संचालन करते हुए एक–दूसरे को बैकअप (redundancy) प्रदान करते हैं।
- **एरिया मैसेजिंग (Area Messaging):** NavIC प्रणाली में एक एम्बेडेड मैसेजिंग इंटरफेस मौजूद है।
- **आपदा प्रबंधन और चेतावनी:** यह इंटरफेस भौगोलिक रूप से लक्षित चेतावनियाँ (Geographically targeted warnings) भेजने में पूरी तरह सक्षम है, जिसमें विशेष रूप से मछुआरों के लिए चक्रवात (cyclone) के अलर्ट शामिल हैं।

इसरो का स्पाडेक्स मिशन और उपग्रहों का पुनः प्रवेश

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग के दो उपग्रहों, SDX01 और SDX02 ने 12 अक्टूबर 2026 को सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश (re–entry) किया है। इन दोनों उपग्रहों ने लगभग सात घंटे के अंतराल पर वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया, जो भारत की उन्नत अंतरिक्ष संचालन और मलबा न्यूनीकरण क्षमताओं को दर्शाता है।

मुख्य तथ्य

- **मिशन का नाम:** अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग (Space Docking Experiment – SpaDeX)।
- **उपग्रहों के नाम:** SDX01 और SDX02।
- **घटना की तिथि:** 12 अक्टूबर 2026 (UTC समय के अनुसार)।
- **घटना का विवरण:** दोनों उपग्रहों ने अपनी कक्षा (orbit) को सफलतापूर्वक छोड़ते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग सात घंटे के अंतराल पर सुरक्षित रूप से पुनः प्रवेश किया।

स्पाडेक्स (SpaDeX) मिशन का उद्देश्य

- **अंतरिक्ष डॉकिंग (Space Docking):** इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य दो अलग–अलग अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्वायत्त रूप से मिलाने और जोड़ने (docking) की जटिल तकनीक का प्रदर्शन करना था।
- **प्रौद्योगिकी का सत्यापन:** इसके अंतर्गत रोबोटिक आर्म्स, विजन सेंसर, काइनेमेटिक मैकेनिज्म और उन्नत नेविगेशन सिस्टम का परीक्षण किया गया, जो उच्च गति पर दो उपग्रहों को सटीक रूप से संरेखित (align) करते हैं।

अंतरिक्ष अन्वेषण में सामरिक महत्व

- **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS):** डॉकिंग तकनीक भविष्य में 2035 तक प्रस्तावित 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' के निर्माण और विस्तार के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके विभिन्न भारी मॉड्यूल्स को अंतरिक्ष में ही एक साथ जोड़ा जाएगा।
- **चंद्रयान–4 और मानव मिशन:** भविष्य के 'चंद्र नमूना वापसी मिशन' और गगनयान (मानव अंतरिक्ष उड़ान) कार्यक्रम में अंतरिक्ष यान के विभिन्न हिस्सों की डॉकिंग और अन–डॉकिंग क्षमताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

प्रकाश–आधारित डिजिटल मेमोरी

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो के शोधकर्ताओं ने डिजिटल डेटा स्टोरेज के क्षेत्र में एक नई तकनीक का प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रकाश (Light) का उपयोग करके चुंबकीय को बदला और डेटा लिखा जा सकता है।

मुख्य तथ्य

- **तकनीक का आधार:** यह तकनीक पारंपरिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रणालियों के बजाय 'ऑप्टो–मैग्नेटिक' सिद्धांतों पर काम करती है, जहां लेजर प्रकाश के सटीक स्पंदनों (pulses) का उपयोग करके चुंबकीय सामग्री में जानकारी एनकोड की जाती है।
- **डेटा राइटिंग:** शोधकर्ताओं ने दिखाया कि कैसे प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य सामग्री के भीतर इलेक्ट्रॉनों के स्पिन (spin) को बदल सकती है, जो बाइनरी कोड (0 और 1) को रिकॉर्ड करने का एक नया और अत्यधिक तीव्र तरीका है।
- **सामग्री का उपयोग:** इस प्रक्रिया में विशेष रूप से डिजाइन किए गए नैनो–मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक (ferromagnetic)



पर्यावरण एवं जैव विविधता

भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन (SPAI)

'अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस' (23 अक्टूबर, 2026) के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भारत के पहले 'हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन (SPAI)' के नवीनतम आंकड़े साझा किए गए।

- **कुल आबादी (Total Population):** सर्वे के विस्तृत आंकड़ों के अनुसार, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हिम तेंदुओं (Snow Leopards) की कुल संख्या 718 दर्ज की गई है।
- **लद्दाख में सर्वाधिक:** इन कुल आंकड़ों में से सबसे अधिक 477 हिम तेंदुए अकेले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पाए गए हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA):** इसी दौरान भारत सरकार ने 1947 के संयुक्त राष्ट्र अधिनियम के तहत अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) और उसके अधिकारियों को विशेषाधिकार और राजनयिक उन्मुक्तियां (Immunities) प्रदान की हैं।
- **हिम तेंदुआ**
  - हिम तेंदुआ (Panthera uncia) मध्य और दक्षिण एशिया के उच्च पर्वतीय और ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों का एक दुर्लभ और मायावी शिकारी जीव है, जिसे "पहाड़ों का भूत"(Ghost of the Mountains) भी कहा जाता है।
  - यह भारत में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है।
  - अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में इसे 'सुभेद्य' (Vulnerable) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - यह उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक (Indicator species) माना जाता है।

एलोकेसिलियस नीलगिरिएंसिस

पश्चिमी घाट के नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व में शोधकर्ताओं ने हाल ही में 'एलोकेसिलियस नीलगिरिएंसिस' नामक एक नई कीट प्रजाति की खोज की है। यह खोज पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता को रेखांकित करती है और पारिस्थितिकी अध्ययन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- **प्रजाति वर्ग:** यह बार्क लाउस (Bark louse) या सोकोप्टेरा (Psocoptera) गण से संबंधित एक सूक्ष्म कीट है।
- **भौगोलिक अवस्थिति:** इसकी खोज विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित नीलगिरि पहाड़ियों के उच्च-ऊंचाई वाले शोला वनों (Shola forests) में की गई है।
- **शारीरिक विशेषताएं:** यह कीट आकार में अत्यंत सूक्ष्म (1-2 मिमी) है और इसमें पारदर्शी पंख तथा विशिष्ट एंटीना संरचना पाई जाती है, जो इसे इस जीनस की अन्य प्रजातियों से अलग करती है।
- **आहार:** यह मुख्य रूप से पेड़ों की छाल, शैवाल **(Algae)**, लाइकेन (Lichen) और मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर है।

पारिस्थितिक महत्व और संरक्षण

सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र (Micro-ecosystem): यह कीट कार्बनिक पदार्थों के अपघटन (decomposition) और पोषक तत्वों के चक्रण (nutrient cycling) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पर्यावरणीय संकेतक: यह प्रजाति सूक्ष्म जलवायु परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए इसका उपयोग शोला वनों के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मापने के लिए एक जैव-संकेतक (Bio-indicator) के रूप में किया जा सकता है।

केरल में भारत का पहला इकोसिस्टम रेड लिस्ट असेसमेंट (RLE)

केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड (KSBB) ने कोल्लम (Kollam) में भारत का पहला 'रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ इकोसिस्टम्स' (RLE) प्रोजेक्ट लॉन्च किया।

मुख्य तथ्य

- **लॉन्च का स्थान:** यह ऐतिहासिक पारिस्थितिक आकलन परियोजना केरल के कोल्लम (Kollam) जिले में शुरू की गई है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड (Kerala State Biodiversity Board - KSBB) ने इस एक दिवसीय पहल की शुरुआत की है।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्रों (Ecosystems) के वर्तमान स्वास्थ्य, उनके क्षरण और भविष्य में उनके पतन (collapse) के जोखिम का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना है।

इकोसिस्टम रेड लिस्ट

इकोसिस्टम रेड लिस्ट (RLE) प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN) द्वारा विकसित एक वैश्विक मानक है।

- प्रजातियों की रेड लिस्ट (Red List of Threatened Species) की तरह, RLE विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों (जैसे वन, आर्द्रभूमि, प्रवाल भित्तियां) की स्थिति और उनके नष्ट होने के जोखिम (Risk of collapse) का आकलन करता है।
- इसके माध्यम से संरक्षण रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

एकीकृत वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और एयरोसोल विषाक्तता विश्लेषण प्रयोगशाला (AATAL)

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अपनी तरह की दुनिया की पहली 'एकीकृत वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और एयरोसोल विषाक्तता विश्लेषण प्रयोगशाला' (Integrated Atmospheric Chemistry and Aerosol Toxicity Analysis Laboratory - AATAL) का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया।



विरासत एवं संस्कृति

संहिता प्रोजेक्ट

भारत और श्रीलंका ने कोलंबो के गंगारामया मंदिर (Gangaramaya Temple) में संहिता प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है।

प्रोजेक्ट के संबंध में:

- **पूरा नाम:** दक्षिण एशियाई पांडुलिपि इतिहास और पाठ्य पुरालेख। "संहिता" एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ 'संकलन' या 'संग्रह' होता है।
- **संचालन:** इसे भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता के माध्यम से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC), नई दिल्ली द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **उत्पत्ति:** इसे वर्ष 2022 में विदेश मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य समय के साथ विदेशों में गई भारतीय पांडुलिपियों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना था।
- इसका नेतृत्व डॉ. सुधा गोपालकृष्णन कर रही हैं, जो भारत के 'राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन' की संस्थापक निदेशक रही हैं।
- **व्यापक लक्ष्य:** भारत के बाहर स्थित पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखी दक्षिण एशियाई पांडुलिपियों का एक रिलेशनल डेटाबेस और डिजिटल आर्काइव (अभिलेख) तैयार करना। यह भारत और दक्षिण एशिया से बाहर के संग्रहों को एक मंच पर लाने का पहला प्रयास है।

यह महत्वपूर्ण क्यों?

- **विरासत का संरक्षण:** ताड़ के पत्तों (ताड़पत्र) और अन्य पुरानी पांडुलिपियां समय, जलवायु और उपेक्षा के कारण खराब हो जाती हैं। डिजिटल प्रतियां उनकी सामग्री को सुरक्षित रखती हैं और विद्वानों के लिए सुलभ बनाती हैं।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** यह भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन बौद्ध और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करता है। यह भारत की 'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood-first) नीति और सॉफ्ट पावर (सॉफ्ट क्षमता) विस्तार के भी अनुकूल है।
- **स्थानीय भागीदारी:** डिजिटलीकरण का कार्य श्रीलंकाई विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, जिससे यह प्रयास साझा और समावेशी बनता है, न कि एकतरफा।
- **क्षेत्रीय पहुँच:** SAMHiTA भूटान, कंबोडिया, नेपाल और श्रीलंका के संस्थानों के साथ भी मिलकर काम करता है।

वुम्मिडी एथिराजू का निधन

चेन्नई के दिग्गज आभूषण निर्माता वुम्मिडी एथिराजू का निधन हो गया है। उन्होंने 1947 में जवाहरलाल नेहरू को भेंट किए गए 'सेंगोल' (Sengol) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वुम्मिडी एथिराजू के संबंध में:

- 25 नवंबर, 1926 को जन्मे एथिराजू दक्षिण भारत के आभूषण उद्योग की एक प्रमुख हस्ती थे।
- उन्होंने सेंगोल को तराशने और गढ़ने में मदद की, जिससे उनके परिवार की पारंपरिक कारीगरी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली—विशेष रूप से 2023 में नए संसद भवन में इसके स्थापित होने के बाद।

केरल के यहूदी समुदायों की घटती जनसंख्या

हाल ही में एरनाकुलम में कादावुमभागम सिनागॉग (Kadavumbhagam Synagogue) और फोर्ट कोच्चि में हेरिटेज कोडर हाउस (Koder House) से जुड़ी घटनाओं ने केरल के घटते यहूदी समुदाय की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया है।

केरल का यहूदी समुदाय प्राचीन मसाला व्यापार के माध्यम से भारत आया था, जो हाल ही में 'कादावुमभागम सिनागॉग' और 'हेरिटेज कोडर हाउस' की घटनाओं के कारण चर्चा में रहा। यह समुदाय मुख्यतः दो भागों में विभाजित है:

मालाबारी (काले) यहूदी:

- इन्हें 'कोचीन यहूदी' भी कहा जाता है, जो अपना इतिहास राजा सुलेमान के समय (लगभग 3,000 वर्ष पूर्व) से जोड़ते हैं।
- ये पहले क्रैंगानोर ('सिंगली') में बसे और 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के आगमन के बाद कोचीन स्थानांतरित हो गए। एरनाकुलम का 'कादावुमभागम सिनागॉग' इनसे जुड़ा ऐतिहासिक स्थल है।

पारदेसी (सफेद) यहूदी

- ये 15वीं-16वीं शताब्दी में इबेरियन प्रायद्वीप (स्पेन व पुर्तगाल) में उत्पीड़न के कारण भागकर मालाबार तट और मद्रास में बसे।
- कोचीन के पारदेसी यहूदी मसाला व्यापार और मद्रास के यहूदी हीरे के व्यापार में सक्रिय थे।

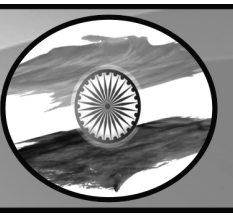
अन्य समूह

- **बगदादी यहूदी:** 18वीं-19वीं शताब्दी में मध्य पूर्व से आए अरबी भाषी यहूदी।
- **मेशुचरारिम:** मुक्त कराए गए दास और धर्म-परिवर्तित यहूदियों के वंशज।

घटती आबादी

- 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद 'अलियाह' (इजराइल की ओर अप्रवास) के तहत बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ।
- 2024 में कोच्चि की क्वीनी हैलेगुआ के निधन के साथ पारदेसी समुदाय की अंतिम महिला का भी अंत हो गया।

आंतरिक सुरक्षा



रक्षा मंत्री का रक्षा क्षेत्र में `आत्मनिर्भरता 2.0' का आह्वान

रक्षा मंत्री ने उन्नत प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, अनुसंधान और विकास (R-D) को मजबूत करने तथा लचीली घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता 2.0' का आह्वान किया है।

रक्षा क्षेत्र का अवलोकन (FY 2025-26 एवं 2026-27)

- **रिकॉर्ड उत्पादन:** वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन 15.6% की वृद्धि के साथ 1.78 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जिसमें DPSUs का योगदान 76% और निजी क्षेत्र का 24% रहा।
- **बजट एवं R-D वृद्धि:** रक्षा बजट 2013-14 के ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹7.85 लाख करोड़ हो गया। R-D आवंटन में 112% की वृद्धि दर्ज की गई, जो ₹29,100. 25 करोड़ हो गया है।
- **आत्मनिर्भरता एवं निर्यात:** 65% उपकरण अब घरेलू स्तर पर निर्मित होते हैं। भारत 80 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है और वर्ष 2029 तक ₹3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

स्वदेशीकरण सुधारों की आवश्यकता

- **रणनीतिक स्वायत्तता:** भू-राजनीतिक तनावों के समय विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होती है।
- **क्षमता वृद्धि व आर्थिक दक्षता:** थल, नभ और जल सेना के पुराने प्लेटफॉर्मों को आधुनिक बनाकर सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होती है, आयात बिल घटता है और विदेशी मुद्रा की बचत होती है।

भारत में सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी

भारत में सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी एक गंभीर चुनौती है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' ने भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में सक्रिय एक पारराष्ट्रीय ड्रग-तस्करी कार्टेल को ध्वस्त किया।

तस्करी के मुख्य कारण

- **भौगोलिक स्थिति:** भारत वैश्विक अफीम उत्पादन के दो प्रमुख केंद्रों-गोल्डन क्रिसेट (अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान) और गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड)-के बीच स्थित है।
- **सछिद्र सीमाएं:** 15,000 किमी से अधिक भूमि सीमा और 11,000 किमी से अधिक लंबी तटरेखा के कारण म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से आसान घुसपैठ होती है।
- **फार्मास्यूटिकल आधार:** कमजोर निगरानी की स्थिति में प्रिकर्सर रसायनों का उपयोग सिंथेटिक दवाओं के अवैध निर्माण में होता है।
- **नार्को-आतंकवाद:** तस्करी से प्राप्त धन का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद को वित्तपोषित करने में किया जाता है।

प्रभाव

ड्रग्स का दुरुपयोग मानव पूंजी व उत्पादकता को घटाता है, स्वास्थ्य समस्याओं (मानसिक/शारीरिक) को बढ़ाता है, सामाजिक-पारिवारिक विघटन का कारण बनता है और राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करता है।

नियंत्रण हेतु किए गए प्रमुख पहल

- **त्रि-वर्षीय रोडमैप (2029 तक):** खुफिया प्रवर्तन, प्रिकर्सर नियंत्रण, मांग में कमी और क्षमता निर्माण।
- **प्रमुख कदम:** NDPS अधिनियम (1985), नशा मुक्त भारत अभियान (2020), काशी घोषणा (5 वर्षीय रोडमैप), तथा NCB का डार्कनेट मॉनिटरिंग सेल।
- **लक्ष्य:** भारत का 2047 तक 'नशा मुक्त भारत' का राष्ट्रीय लक्ष्य है। वैश्विक स्तर पर UNODC और INCB इसके विरुद्ध कार्यरत हैं।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम लागू

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 को 8 अक्टूबर 2026 से लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB में भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों को नियमित करना है।

अधिनियम के मुख्य बिंदु

- **IPS प्रतिनियुक्ति को बढ़ावा:** नेतृत्व पदों पर IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बरकरार रहेगी।
- इसके तहत ADG के 67% और IG के 50% पद IPS के लिए आरक्षित रहेंगे। Special DG और DG पद केवल प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे।
- **सरकार का तर्क:** संघ और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय व अंतर-विभागीय अनुभव हेतु यह आवश्यक है।

पत्र-पत्रिका

सार संक्षेप (पॉइंटर रूप में)

योजना/कुरुक्षेत्र/डाउन टू अर्थ (अक्टूबर 2026)



योजना

संपादकीय

- श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्तूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तथा जून 2024 में उन्होंने लगातार तीसरी बार यह पद संभाला।
- चाणक्य नीति का प्राचीन सिद्धांत– **"प्रजा सुखे सुखं राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम्"** (प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित) –लोक-कल्याणकारी शासन का शाश्वत दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है।

नेतृत्व के 25 वर्ष

- श्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक कार्यकारी नेतृत्व में 25 वर्ष पूरे किए हैं–जिसमें पहले गुजरात के मुख्यमंत्री (2001 से) और तदुपरांत भारत के प्रधानमंत्री (2014 से लगातार तीसरे कार्यकाल तक) की भूमिका शामिल है।
- गुजरात में मेहसाणा जिला सहकारी बैंक से 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक ऋण से शुरू किया गया 'कृषि एवं घरेलू विद्युत फीडर पृथक्करण' प्रयोग बाद में ₹1,000 करोड़ की लागत से पूरे राज्य में लागू हुआ।
- गुजरात में पेयजल हेतु भूजल पर 80% निर्भरता को नर्मदा नहर ग्रिड व पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से रूपांतरित कर 80% सतही जल निर्भरता में बदल दिया गया।

प्रगति, समृद्धि और जन-केंद्रित शासन

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी, 2024 को गुजरात में ओखा मुख्यभूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले 'सुदर्शन सेतु' को राष्ट्र को समर्पित किया।
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और उन्हें परिणाम-उन्मुख बनाने हेतु वर्ष 2025 में 'गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग' (GARC) गठित किया गया, जिसने अब तक 6 रिपोर्टें सौंपी हैं।
- नीति आयोग की तर्ज पर 2024 में 'गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' (GRIT) का गठन किया गया, जिसने 6 प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों हेतु रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार किए हैं।
- 'पीएम जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम' (PMJAY-MA) के तहत उपचार सहायता राशि को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख किया गया है तथा राज्य में 2.92 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

जन-केंद्रित शासन : जनसेवा के 25 वर्षों का सफर

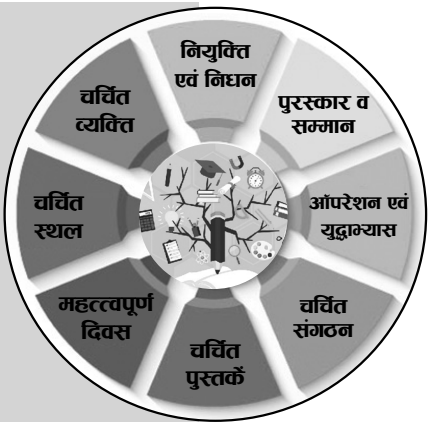
- गुजरात में शिक्षकों के सर्वांगीण क्षमता-निर्माण और मानवीय मूल्यों के विकास हेतु 'कर्मयोगी अभियान' शुरू किया गया, जिसमें लगभग 80,000 शिक्षक शामिल हुए।
- उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के बहुआयामी व्यक्तित्व विकास के लिए 'सप्त धारा' (संगीत, नृत्य, रंगमंच, योग, कला, सेवा आदि) और 'नॉलेज कंसोर्टियम ऑफ गुजरात' (KCG) पहल लागू की गई।
- वर्ष 2014 के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पोरबंदर और डांग जैसे आदिवासी जिलों के जन-भागीदारी मॉडलों को श्मन की बातश में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) ने ऐतिहासिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित रूपांतरण हेतु डेटा-संचालित निगरानी, अभिसरण और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मुख्य आधार बनाया।

विकसित भारत के लिए परमाणु मंथन

- भारत का परमाणु कार्यक्रम और नीति दोहरे उद्देश्यों पर आधारित रही है: स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विश्वसनीय निवारक क्षमता (Deterrence) सुनिश्चित करना।
- भारत ने 1974 में पोखरण (राजस्थान) में अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट (PNE) किया, जिसके पश्चात् 11-13 मई 1998 को पोखरण-II भूमिगत परमाणु परीक्षण कर अपनी रणनीतिक परमाणु क्षमता को विश्व पटल पर प्रदर्शित किया।
- संसद द्वारा हाल ही में पारित 'शांति' (सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) अधिनियम का लक्ष्य 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावॉट तक पहुँचाना है, जो 2070 के नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप है।
- 'शांति' अधिनियम सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए परमाणु ऊर्जा उत्पादन व नियमन के लिए एक नया कानूनी और लाइसेंसिंग ढांचा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम सुरक्षा सहित) स्थापित करता है।

डेटा बैंक

डेटा बैंक में प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में प्रायः उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण तथ्य, आँकड़े एवं सूचनाएँ सुव्यवस्थित रूप से संकलित की गई हैं। इसमें सम्मिलित सभी आँकड़े एवं तथ्य PIB, विभिन्न मंत्रालयों की आधिकारिक वेबसाइटों तथा सरकार की प्रामाणिक पत्र-पत्रिकाओं से संकलित किए गए हैं।



राष्ट्रीय

भारत की बाह्य आर्थिक स्थिति और विदेशी मुद्रा भंडार

आर्थिक संकेतक	उप-श्रेणी/घटक	अक्टूबर 2026 तक के अद्यतन आंकड़े
विदेशी मुद्रा भंडार	कुल विदेशी मुद्रा भंडार	704.8 अरब डॉलर
	विदेशी मुद्रा आस्तियां	612.3 अरब डॉलर
	स्वर्ण भंडार	68.5 अरब डॉलर
	विशेष आहरण अधिकार (SDRs)	18.2 अरब डॉलर
	IMF के पास सुरक्षित राशि	5.8 अरब डॉलर
विदेशी ऋण स्थिति	कुल बाह्य ऋण (External Debt - Q1 2026)	675.4 अरब डॉलर (GDP का 18.8%)
	दीर्घकालिक ऋण (Long-term Debt)	543.6 अरब डॉलर (कुल ऋण का 80.5%)
	अल्पकालिक ऋण (Short-term Debt)	131.8 अरब डॉलर (कुल ऋण का 19.5%)

नवीकरणीय ऊर्जा और नेट-जीरो 2070 प्रगति लक्ष्य

ऊर्जा क्षेत्र आयाम	क्षमता और भौतिक लक्ष्य घटक	अक्टूबर 2026 तक की संचयी स्थिति
स्थापित क्षमता	कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता	206.5 गीगावाट (GW)
	सौर ऊर्जा (Solar Power) स्थापित क्षमता	94.2 GW
	पवन ऊर्जा (Wind Power) स्थापित क्षमता	48.7 GW
	जल विद्युत (Large Hydro) स्थापित क्षमता	47.1 GW
	जैव ऊर्जा (Biomass - Waste to Energy)	16.5 GW
पीएम-कुसुम	सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप (Component-B)	5.25 लाख पंप स्थापित
	ग्रिड-संबद्ध सौर ऊर्जा संयंत्र (Component-A)	1.8 गीगावाट (GW)
रूफटॉप सोलर	पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पंजीकरण)	1.65 करोड़+ परिवार पंजीकृत

ग्रामीण आवास और वित्तीय समावेशन

कल्याणकारी योजनाएं	प्रमुख मापदंड और लाभार्थी आयाम	अक्टूबर 2026 तक संकलित प्रगति
पीएम आवास योजना-ग्रामीण	कुल स्वीकृत आवास संख्या (PMAY-G)	3.02 करोड़ आवास
	पूर्ण किए गए आवासों की संख्या	2.68 करोड़ आवास
	वित्तीय वर्ष 2026-27 का भौतिक लक्ष्य	35 लाख आवास (वार्षिक)
वित्तीय समावेशन	कुल जन धन खाते (प्रधानमंत्री जन धन योजना)	53.65 करोड़ खाते
	जन धन खातों में कुल जमा राशि (Deposits)	2.34 लाख करोड़ से अधिक
	ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खातों का %	66.4% खाते ग्रामीण/अर्ध-शहरी
	महिला खाताधारकों की हिस्सेदारी	55.6% महिला लाभार्थी
	जारी किए गए त्नच्ंल डेबिट कार्ड	36.8 करोड़ कार्ड

राज्य परिदृश्य

इसके अंतर्गत हमने विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गयी योजनाओं एवं कार्यक्रमों, राज्य स्तर पर आयोजित बैठक एवं सम्मेलनों, सरकारों द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट्स तथा अन्य प्रमुख घटनाक्रमों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है, जिनसे सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।



उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश का 'प्रगति' एआई और रोबोटिक्स पार्क

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोबोटिक्स पार्क के निर्माण को अधिकारिक मंजूरी दी है। यह उत्तर प्रदेश को भारत के उभरते तकनीकी परिदृश्य में अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम है।

- **परियोजना का नाम:** इस महत्वाकांक्षी परियोजना को 'प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से रोबोटिक्स और एआई विकास के लिए मंच' नाम दिया गया है।
- **भौगोलिक विस्तार और संरचना:** यह प्रौद्योगिकी हब कुल 69.52 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 8 एकड़ का एक विशेष क्षेत्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत संचालित होगा, जबकि शेष 61.52 एकड़ क्षेत्र पूरी तरह से निजी क्षेत्र के तकनीकी निवेश के लिए आरक्षित किया गया है।
- **इक्विटी और निवेश साझेदारी:** पीपीपी (PPP) ढांचे के तहत गठित 'विशेष प्रयोजन वाहन' (SPV) में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 26% इक्विटी भागीदारी होगी, जबकि शेष 74% इक्विटी का वहन चयनित औद्योगिक भागीदार द्वारा किया जाएगा।
- **आर्थिक और रोजगार प्रभाव:** इस पार्क के पूर्ण पैमाने पर कार्यशील होने के बाद 1 लाख (100,000) से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उच्च-कौशल रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इसके अलावा, यह राज्य की अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग ₹2,000 करोड़ के सकल मूल्यवर्धन (Gross Value Added - GVA) का योगदान देगा।

मिशन कर्मयोगी 2026: उत्तर प्रदेश सबसे आगे

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 'मिशन कर्मयोगी' के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है, जहां राज्य के गृह विभाग (Home Department) ने 1 करोड़ से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।

- **गृह विभाग का प्रदर्शन:** यूपी पुलिस और गृह विभाग के कर्मियों ने सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए बनाए गए 'iGOT कर्मयोगी' (Integrated Government Online Training) पोर्टल पर भारी संख्या में कोर्सेज पूरे किए हैं।
- **उद्देश्य की पूर्ति:** इसके माध्यम से पुलिस बलों को साइबर अपराध, मानवाधिकार, नई आपराधिक संहिताओं और जन-अनुकूल पुलिसिंग जैसे विषयों पर प्रशिक्षित कर आधुनिक और उत्तरदायी बनाया जा रहा है।
- **मिशन कर्मयोगी:** भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नौकरशाही को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित बनाना है। यह सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, पारदर्शी, और तकनीक-सक्षम बनाने पर जोर देता है।

उत्तर प्रदेश–जापान ₹90,000 करोड़ समझौता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य और जापान के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी को रेखांकित किया, जिसके तहत जापानी कंपनियों के साथ लगभग ₹90,000 करोड़ के निवेश संबंधी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

- **निवेश के क्षेत्र (Sectors of Investment):** यह सहयोग बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्रों तक विस्तृत है।
- **सांस्कृतिक-आर्थिक संबंध (Cultural-Economic Ties):** यह साझेदारी काशी और क्योटो के बीच दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंध पर आधारित है। इसे 'काशी से क्योटो तक, आस्था से अर्थव्यवस्था तक' के दृष्टिकोण से जोड़ा गया है।
- **रक्षा विनिर्माण (Defense Manufacturing):** राज्य में रक्षा औद्योगिक गलियारे को भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, झाँसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट के रूप में छह नोड शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश मॉडल भवन विनियम, 2026

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये 'मॉडल भवन विनियम, 2026' को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है।

- **उद्देश्य:** इसका लक्ष्य शहरी विस्तार में तेजी लाना, निजी निवेश को आकर्षित करना और भूमि उपयोग को बेहतर बनाना है।
- **लक्षित क्षेत्र:** यह विनियम विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में लागू किया जाएगा।
- **संरचनात्मक सुरक्षा:** नए विनियम के तहत, ऊँचे भवनों का प्रत्येक



फोनपे ने तत्काल एनपीएस लॉन्च किया

27 अक्टूबर 2026 को फोनपे ने तत्काल एन.पी.एस. लॉन्च किया, जिससे उपयोगकर्ता केवल 250 के प्रारंभिक योगदान के साथ डिजिटल रूप से एन.पी.एस. खाता खोल सकते हैं।

- मौजूदा बैंक के.वाई.सी. का उपयोग ओ.टी.पी. के माध्यम से सत्यापित–नए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं।
- एन.पी.एस. पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा विनियमित परिभाषित-योगदान सेवानिवृत्ति योजना है जिसमें टियर I (मुख्य) और टियर II खाते हैं।
- पी.एफ.आर.डी.ए. ने 6 अक्टूबर 2026 को फोनपे और भीम के लिए इस सुविधा की पहले घोषणा की थी।

भारत का पहला ए.आई. और खाद्य प्रौद्योगिकी हैकथॉन

- निफ्टेम-के, कुंडली ने "हैक द फोर्क" की मेजबानी की, जो भारत का पहला ए.आई. और खाद्य प्रौद्योगिकी हैकथॉन था (24-25 अक्टूबर 2026)।
- फ्रांस स्थित हैक द फोर्क, निफ्टेम-के स्मार्ट प्रोटीन प्रोजेक्ट और गुड फूड इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ आयोजित किया गया।
- **थीम:** प्लांट-बेस्ड फॉर्मूलेशन के लिए ए.आई., बायोप्रोसेसिंग, फर्मेंटेशन स्केल-अप, सप्लाई चेन, खाद्य सुरक्षा और पोषण।
- 85+ टीमों ने आवेदन किया; 10 राज्यों से 90+ प्रतिभागियों के साथ 22 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया।
- पुरस्कार राशि 1.5 लाख; विजेताओं को निफ्टेम-के स्टार्टअप इनक्यूबेशन प्रोग्राम में प्रवेश मिलेगा।

लद्दाख को भारत का पहला पूर्णत: जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया

लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने 25 अक्टूबर 2026 को लद्दाख को भारत का पहला पूर्णत: जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया।

- जून से रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; 2020 में शुरू की गई मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव (MODI) सभी 666 गांवों को कवर करती है।
- 207 गांव पहले से ही जैविक प्रमाणित हैं; जैव-उर्वरकों, बीजों, विपणन और संरक्षित खेती के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- ठंडे रेगिस्तानी जलवायु के अनुकूल जौ, गेहूं, खुबानी, सी बकथॉर्न और सब्जियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह सिक्किम के मॉडल का अनुसरण करता है; इसका उद्देश्य बेहतर कीमतें और टिकाऊ खेती है।

केरल की पहली सहकारी एयरलाइन

केरल सरकार ने केरल सिविल एविएशन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की एयरलाइन को मंजूरी दी।

- मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन ने 25 अक्टूबर 2026 को कोझिकोड में कलिकट सिटी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजत जयंती समारोह में इसकी घोषणा की।
- परियोजना का नेतृत्व एमवीआर कैंसर सेंटर के सी. एन. विजयकृष्णन कर रहे हैं।
- प्रस्तावित नाम "को-केरलम"; कोच्चि से कोझिकोड, कन्नूर, बेंगलुरु और अन्य शहरों के लिए दो 72-सीटर विमान किराए पर लेने की योजना है।

खेत बचाओ अभियान—रबी 2026

कृषि मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2026 को करनाल, हरियाणा से राष्ट्रव्यापी अभियान लॉन्च किया।

- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन करेंगे; 30 नवंबर 2026 तक चलेगा।
- **फोकस:** मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक, फसल विविधीकरण, अवशेष प्रबंधन, प्राकृतिक खेती।
- के.वी.के., आई.सी.ए.आर. संस्थानों और राज्य कृषि विभागों के माध्यम से गतिविधियां।
- **लक्ष्य:** रबी मौसम की फसलें जैसे गेहूं, सरसों और चना।

फीफा महिला क्लब विश्व कप

अमेरिका 5-30 जनवरी 2028 तक उद्घाटन फीफा महिला क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा।?

- सभी छह संघों से 19 शीर्ष महिला क्लब शामिल होंगे।
- **आवंटन:** यूईएफए 6, एएफसी/सीएएफ/कॉनकैकाफ/कॉनमेबोल प्रत्येक 3, ओएफसी 1।
- सात क्लब पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं, जिनमें आर्सेनल, बार्सिलोना और गोथम शामिल हैं।
- 2026 से स्थगित; महिला विश्व कप 2027 और एलए ओलंपिक के बीच समयबद्ध।

इसरो एनवीएस-03 उपग्रह प्रक्षेपण

- इसरो 30 अक्टूबर 2026 को श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी एमके II पर एनवीएस-03 नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा।
- सेवा निरंतरता में सुधार के उद्देश्य से दूसरी पीढ़ी का नाविक उपग्रह।

भूगोल

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित

भू-आकृति विज्ञान: पृथ्वी और उसकी संरचना

पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति - पृथ्वी की उत्पत्ति/ भूवैज्ञानिक संदर्भ से जुड़ी प्रासंगिक तथ्य

पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व 'नेबुला परिकल्पना' के तहत हुई। प्रारंभिक पृथ्वी तप्त और मीथेन, अमोनिया जैसी गैसों से युक्त थी।

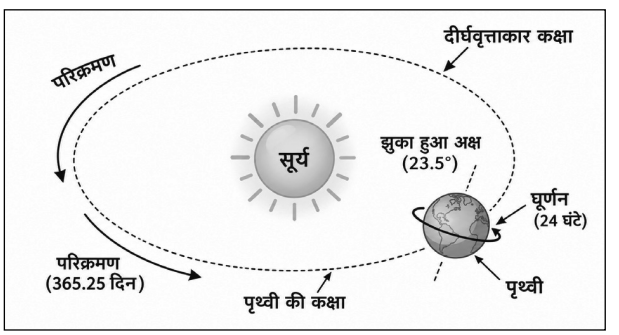
जीवन की उत्पत्ति के चरण:

- **आर्कियन ईऑन (3.8 अरब वर्ष पूर्व):** महासागरों में प्रथम एककोशिकीय जीव (सायनोबैक्टीरिया/स्ट्रोमेटोलाइट्स) का विकास। यह कीमोसिंथेसिस से शुरू हुआ।
- **प्रोटेरोजोइक ईऑन (2.5 अरब वर्ष पूर्व):** प्रकाश संश्लेषण द्वारा 'ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट'। ऑक्सीजन की वृद्धि और बहुकोशिकीय जीवों का उदय।
- **फेनरोजोइक ईऑन (541 मिलियन वर्ष पूर्व):** 'कैम्ब्रियन विस्फोट' से जटिल जीवन और वृहद जैव विविधता का विस्तार।



पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव, अक्ष और सूर्य के चारों ओर कक्षा

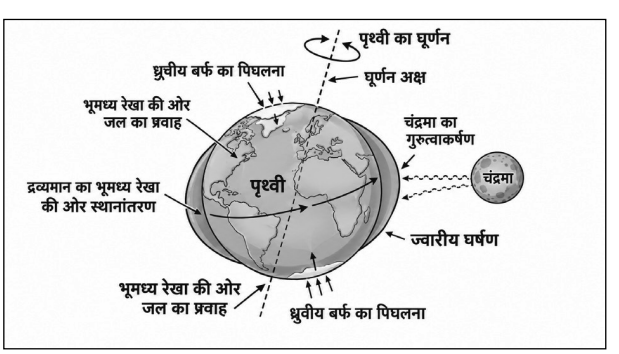
- **अक्ष (Axis):** पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा।
- **अक्षीय झुकाव (Tilt):** पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल (Orbital Plane) पर लंबवत नहीं है; यह 23.5 झुका हुआ है (कक्षीय तल से 66.5 का कोण)।
- **घूर्णन (Rotation):** पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। इसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं, जो दिन और रात का कारण बनता है।
- **कक्षा :** सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का निश्चित अण्डाकार मार्ग।
- **परिक्रमण (Revolution):** अपनी अण्डाकार कक्षा में सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करना, जिसमें 365¼ दिन लगते हैं।
- **सम्मिलित प्रभाव:** पृथ्वी के वार्षिक परिक्रमण और 23.5° के अक्षीय झुकाव के संयुक्त प्रभाव से पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है।



पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन

पृथ्वी की घूर्णन गति पूर्णत: स्थिर नहीं है; इसमें निरंतर सूक्ष्म बदलाव होते रहते हैं।

- **ज्वारीय घर्षण (Tidal Friction):** चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उठने वाले समुद्री ज्वार घर्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है।
- **ध्रुवीय बर्फ का पिघलना:** जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर पिघलते हैं और अतिरिक्त जल भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। द्रव्यमान के इस पुनर्वितरण (कोणीय संवेग संरक्षण) से घूर्णन गति धीमी हो जाती है।
- **भूकंपीय गतिविधियाँ:** बड़े पैमाने के भूकंप द्रव्यमान को विस्थापित कर घूर्णन गति को क्षणिक रूप से बढ़ा सकते हैं।
- **प्रभाव:** इससे दिन की लंबाई में परिवर्तन होता है, जिसे समय-समय पर घड़ियों में 'लीप सेकंड' (Leap Second) जोड़कर संतुलित किया जाता है।



पृथ्वी की अक्षांश और देशांतर रेखाएं

- **अक्षांश (Latitude):** भूमध्य रेखा (0°) के समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएँ। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। ये रेखाएँ पृथ्वी को ताप कटिबंधों (Heat Zones) में विभाजित करती हैं। कुल अक्षांश: 181।

विशेषांक

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय नवाचार (2025-2026)

भारत का प्रौद्योगिकीय बदलाव अब केवल प्रौद्योगिकी अपनाने तक सीमित न रहकर तेजी से स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। रक्षा, अंतरिक्ष, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में हाल ही के नवाचार तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने, महत्वपूर्ण आयातों पर निर्भरता कम करने और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने के भारत के प्रयासों को दर्शाते हैं। 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण है।

डिजिटल कृषि और एग्री-टेक प्रौद्योगिकी

एग्रीस्टैक (AgriStack)

केंद्रीय बजट 2026-27 में, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एग्रीस्टैक पोर्टल को एआई (AI) प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) की घोषणा की।

यह प्रौद्योगिकी क्या है?

परिभाषा: एग्रीस्टैक एक डिजिटल कृषि मंच है जो सटीक खेती (precision farming) और साक्ष्य-आधारित कृषि निर्णय लेने में सहायता के लिए किसान डेटाबेस, भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह इमेजरी, जीआईएस (GIS), ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एकीकृत करता है।

उद्देश्य: कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, किसानों को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाना और अनुकूलित परामर्श सहायता प्रदान करके जोखिमों को कम करना।

मुख्य विशेषताएँ (Key Features)

- कृषि भूमि के प्रत्येक भूखंड की डिजिटल मैपिंग।
- उपग्रह, ड्रोन और जीआईएस डेटा का एकीकरण।
- एआई-संचालित फसल परामर्श सेवाएँ।
- किसान ड्रोन-आधारित कृषि अनुप्रयोगों का समर्थन।
- किसानों के लिए डिजिटल पहचान पत्र (Digital Identities) बनाने में सक्षम।

लक्षित समूह/क्षेत्र (Target Groups/Sectors)

- किसान
- कृषि विस्तार एजेंसियां
- राज्य कृषि विभाग
- फसल बीमा एजेंसियां
- एग्री-टेक स्टार्ट-अप
- कृषि अनुसंधान संस्थान

विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख अनुप्रयोग

कृषि (Agriculture)

- सटीक पोषक तत्व प्रबंधन।
- फसल निगरानी और उपज का अनुमान।
- कीट और बीमारी निगरानी।
- सटीक सिंचाई नियोजन।

जलवायु-अनुकूल कृषि (Climate-Smart Agriculture)

- मौसम आधारित फसल परामर्श।
- संसाधन-कुशल कृषि पद्धतियां।

शासन/गवर्नेंस (Governance)

- कृषि सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लक्षित वितरण।
- नीति कार्यान्वयन के लिए डिजिटल किसान डेटाबेस।

महत्व (Significance)

- डेटा-संचालित कृषि निर्णय लेने को बढ़ावा देता है।
- इनपुट-उपयोग दक्षता और खेत की उत्पादकता में सुधार करता है।
- कृषि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाता है।
- जलवायु-अनुकूल और डिजिटल कृषि को मजबूत करता है।

एआई-आधारित स्वायत्त हार्वेस्टर

वर्ष 2026 में, भारत ने टमाटर जैसी फसलों के लिए अपना पहला स्वदेशी एआई-संचालित स्वायत्त हार्वेस्टर तैनात किया।

यह प्रौद्योगिकी क्या है? (What is the Technology?)

एआई-आधारित स्वायत्त हार्वेस्टर (AI-Based Autonomous Harvesters) बुद्धिमान कृषि मशीनें हैं जो फसल की परिपक्वता (Maturity) की पहचान करने और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ सटीक कटाई (Precision Harvesting) करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं।

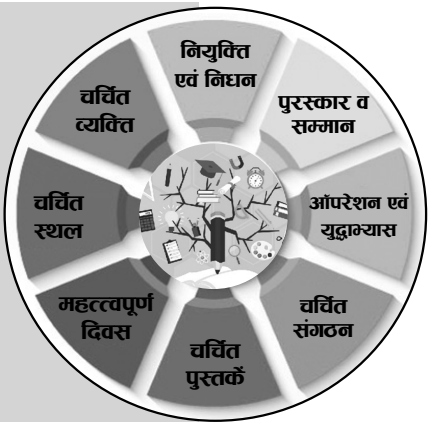
- **उद्देश्य:** सटीक कटाई को स्वचालित करना, श्रम (मजदूरों) पर निर्भरता कम करना, फसल के नुकसान को न्यूनतम करना, कटाई की दक्षता में सुधार करना और एआई-संचालित निर्णय लेने के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना।

मुख्य विशेषताएँ (Key Features)

- एआई-सक्षम 3D विजन सिस्टम।
- स्वायत्त नेविगेशन (Autonomous Navigation)।

लघु संचिका

प्रायः सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नियुक्ति, निधन, पुरस्कारों, चर्चित पुस्तकों, दिवसों आदि से अत्यधिक संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए संक्षिप्त स्वरूप में समसामयिक घटनाक्रमों का कवरेज पर्याप्त होता है। इसे ध्यान में रखकर हम इस खंड में अति संक्षिप्त रूप में इन समसामयिक घटनाक्रमों का प्रस्तुतीकरण करते हैं।



चर्चित व्यक्ति

चर्चित व्यक्ति	मुख्य पद / पहचान	महत्वपूर्ण घटना / उपलब्धि	मुख्य बिंदु/विवरण
लुइज इनैसियो लूला दा सिल्वा	ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति	ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव (रनऑफ) में जीत (25 अक्टूबर 2026)	➢ फ्लावियो बोलसोनारो (48.21%) के मुकाबले 51.79% (64,256,232) वैध मत प्राप्त किए। ➢ 5 जनवरी 2027 से इनका चौथा राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू होगा।
नरेंद्र मोदी	भारत के प्रधानमंत्री	सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे किए (7 अक्टूबर 2026)	➢ 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की शुरुआत की थी। ➢ पूर्व में लगातार निर्वाचित पीएम के रूप में 4,399 दिन पूरे कर जवाहरलाल नेहरू (4,398 दिन) का रिकॉर्ड तोड़ा।
हरमनप्रीत कौर	भारतीय महिला क्रिकेटर	भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तीनों प्रारूपों की कप्तानी छोड़ी (6 अक्टूबर 2026)	➢ स्मृति मंधाना नई कप्तान नियुक्त हुईं। हरमनप्रीत खिलाड़ी के रूप में खेलती रहेंगी। ➢ कप्तानी में भारत ने 2025 महिला वनडे विश्व कप और 2022 व 2026 एशियाई खेलों में लगातार दो स्वर्ण पदक जीते। ➢ सितंबर 2026 में 150 T20I मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनीं।
डॉ. रम्या मंजुनाथ अंचे	भारतीय मूल की खगोल वैज्ञानिक	NASA के PUFFINS मिशन की प्रधान अन्वेषक (PI) चुनी गईं (अक्टूबर 2026)	➢ मिशन अंतरतारकीय धूल के सूक्ष्म कणों (तारों/ग्रहों के निर्माण पर प्रभाव) का अध्ययन करेगा। ➢ अंतरराष्ट्रीय सहयोग में IUCAA (पुणे) और IIA (बेंगलुरु) शामिल हैं।
लियोनेल मेसी	अर्जेंटीना के फुटबॉलर	बेनिन के विरुद्ध अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच खेला (6 अक्टूबर 2026)	➢ करियर में 208 मैचों में 126 गोल किए। 31 अगस्त 2026 को संन्यास की घोषणा की थी। ➢ 6 विश्व कप (2006–2026) में रिकॉर्ड 34 मैच खेले और 21 गोल किए।

नियुक्तियाँ

संवैधनिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक नियुक्तियाँ

पद / संस्था	नियुक्तियाँ	पूर्व पद / विवरण	पूर्ववर्ती (जिसका स्थान लिया)	प्रभावी तिथि / कार्यकाल
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश	न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल	मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय (मूलः इलाहाबाद)	–	5 अक्टूबर 2026

खेल परिदृश्य

खेल जगत में हाल के घटनाक्रमों पर आधारित



क्रिकेट

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रिकॉर्ड्स

खिलाड़ी / उपलब्धि	मैच / स्थान	प्रमुख रिकॉर्ड एवं विवरण
शुभमन गिल (सबसे तेज वनडे दोहरा शतक)	भारत बनाम वेस्टइंडीज (30 सितंबर 2026, गुवाहाटी)	➢ 117 गेंदों में दोहरा शतक बनाकर सबसे तेज वनडे दोहरे शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया (ईशान किशन के 126 गेंदों का रिकॉर्ड तोड़ा)। ➢ नाबाद 223 रन' बनाए, जो वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है (ग्लेन मैक्सवेल के 201' रन का रिकॉर्ड तोड़ा)। ➢ भारत ने 406/2 बनाकर अपना सबसे बड़ा सफल रन-चेज पूरा किया (यह पुरुष वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन-चेज है)।
रोहित शर्मा (12,000 वनडे रन व छक्कों का रिकॉर्ड)	भारत बनाम वेस्टइंडीज (30 सितंबर 2026, गुवाहाटी)	➢ वनडे में 12,000 रन पूरे करने वाले तीसरे भारतीय एवं विश्व के सातवें बल्लेबाज बने। ➢ 282 पारियों में यह उपलब्धि हासिल कर विराट कोहली (242 पारियाँ) के बाद दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने। ➢ भारत में खेलते हुए किसी एक ही देश में 200 वनडे छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने।

विशेष उपलब्धियाँ एवं रिकॉर्ड्स

खिलाड़ी / व्यक्तित्व	सूची / पुरस्कार	उपलब्धि एवं विवरण
वैभव सूर्यवंशी (15 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर)	TIME100 नेक्स्ट 2026 सूची	➢ टाइम पत्रिका की 'TIME100 नेक्स्ट 2026' सूची में 'फिनॉम्स' श्रेणी में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। ➢ IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से 16 मैचों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। ➢ IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाकर IPL इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने थे।

प्रमुख तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक तथ्य

विषय	रिकॉर्डधारक / विवरण
सबसे तेज 12,000 वनडे रन	1. विराट कोहली (242 पारियाँ) 2. रोहित शर्मा (282 पारियाँ) 3. सचिन तेंदुलकर (300 पारियाँ)

हॉकी

16वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2026

विवरण श्रेणी	मुख्य बिंदु / तथ्य
प्रतियोगिता का नाम	16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026

करेंट अफेयर्स वनलाइनर

सरकारी समाचार सेवाओं-PIB, AIR इत्यादि से संकलित



राष्ट्रीय

- 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में "सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि वाला मेट्रो रेल" पुरस्कार किसे मिला? **– दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लिए एन.सी.आर.टी.सी. (NCRTC) को।**
- राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासियों के लिए घोषित रियायती पास का वार्षिक मूल्य कितना तय किया गया है? **– 1,500 या 3,000 (वैध फास्टैग वाले गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए)**
- आई.सी.जी.ई.बी. नई दिल्ली द्वारा आयोजित ई.एस.टी.आई.सी. 2026 किस विषय पर केंद्रित था? **– सिस्टम्स एंड सिंथेटिक बायोलॉजी पर**
- भारत का पहला ए.आई. और फूड टेक्नोलॉजी हैकथॉन "हैक द फोर्क" किसके द्वारा आयोजित किया गया? **– निफ्टेम-के (NIFTEM-K) द्वारा**
- अक्टूबर 2026 में किस क्षेत्र को भारत का पहला पूर्ण जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? **– लद्दाख को**
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर.बी.आई. डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? **– भुवनेश्वर (ओडिशा) में**
- व्यापार निगरानी और प्रशासन में सुधार के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमांड सेंटर (NSTCC) का शुभारंभ किसने किया? **–केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने**
- कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी "खेत बचाओ अभियान-रबी 2026" की शुरुआत कहाँ से की? **– करनाल (हरियाणा) से**
- दूसरा राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? **– भुवनेश्वर (ओडिशा) में**
- एसोसिएशन ऑफ ए.आर.सी. के साथ किस संस्थान ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट इन्सॉल्वेंसी प्रोग्राम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? **–भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) ने**
- ऑर्थोपेडिक्स केंद्रित इंटीग्रेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण को सीसीआई (CCI) ने मंजूरी दी? **– यूनिवर्सल न्यूट्रिसाइंस को**
- पुस्तक 'द इवोल्यूशन ऑफ टी.वी. न्यूज इन इंडिया' के लेखक कौन हैं, जिसका विमोचन सूर्य प्रकाश ने किया? **– हरसरन बीर कौर पांडे**
- 23वें एशिया पैसिफिक ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सम्मेलन 2026 का आयोजक कौन है? **– एस.ए.ई.इंडिया (SAEINDIA)**
- अनुसूचित जनजाति के युवा उद्यमियों को समर्थन देने हेतु किन संस्थाओं के बीच त्रिपक्षीय समझौता (MoU) हुआ? **– जनजातीय कार्य मंत्रालय (NSTFDC), NSIC और सेल-राउरकेला।**
- 'काशी तमिल संगमम 5.0' का आयोजन किस थीम/विषय के साथ किया जाएगा? **– तिरुक्कुरल सीखने की थीम के साथ**
- दूरसंचार (नियामक सैंडबॉक्स) नियम 2026 किस मंत्रालय/विभाग द्वारा अधिसूचित किए गए? **– दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा।**
- जबानी किस देश ने की? **– भारत ने (नई दिल्ली में)**

अंतरराष्ट्रीय

- COP31 (जलवायु परिवर्तन सम्मेलन) का आयोजन 9-20 नवंबर 2026 के दौरान कहाँ होगा और इसमें वार्ता का नेतृत्व कौन करेगा? **– अंताल्या (तुर्की) में; इसकी वार्ता का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया करेगा**
- यू. ए. ई. के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कैप्टन स्मिट मच्छर और फ्लाईदुबई क्रू को किस सम्मान से सम्मानित किया? **– फर्स्ट क्लास 'ऑर्डर ऑफ जायद II' से।**
- नाटो (NATO) सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट एजेंसी की सिक्योरिटी कोऑपरेशन सपोर्ट पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला गैर-नाटो देश कौन-सा बना है? **– यूक्रेन (22 अक्टूबर 2026 को)**
- किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होगा? **– ग्रीस**
- चीन के युन्नान प्रांत की एक ऊँची गुफा से पहली बार दर्ज नई मीठे पानी की गुफा घोंघा (Cave Snail) प्रजाति का नाम क्या है? **– एरहैया डिजियांग**
- फ्रांस में 22 अक्टूबर 2026 को पहली बार किस वायरस से मानव संक्रमण के बाद मृत्यु की पुष्टि हुई? **– शामोंडा वायरस**
- नाइजीरिया के अबुजा में किस घातक बीमारी के आयातित मामले (Imported case) की पुष्टि हुई है? **– बुंदिबुग्यो इबोला**
- भारत और सऊदी अरब के बीच प्रस्तावित 2,100 किमी लंबी, 3 गीगावाट क्षमता वाली अंडरसी HVDC पावर लिंक की अनुमानित लागत कितनी है? **– 9 अरब डॉलर**
- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) कब से लागू हुआ? **– 20 अक्टूबर 2026 से**
- अमरीकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने चीन संबंधी सुरक्षा जोखिमों के कारण संघीय एजेंसियों को किस AI उत्पाद को

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2027

सामान्य अध्ययन, मॉडल टेस्ट पेपर - 3

1. दिए गए गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. टैप्ट-2026 का आयोजन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा 'सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज' (CENJOWS) के साथ मिलकर किया जा रहा है।
2. इस आयोजन का मुख्य विषय (Theme) "रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन, वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना" (Showcasing Defence Capabilities, Strengthening Global Partnerships) है।
3. रक्षा अधिग्रहण परिषद (DA(c) द्वारा स्वीकृत ₹2,12,000 करोड़ के पूंजीगत अधिग्रहण में से केवल 50% खरीद भारतीय उद्योग के लिए निर्धारित की गई है।
4. 'लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन 2026' (Land Warfare Doctrine 2026) में ड्रोन संचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित निर्णय-प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
5. DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्रणाली पारंपरिक पनडुब्बियों को बिना वायुमंडलीय हवा लिए लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में सक्षम बनाती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1, 2, 4 और 5
(c) केवल 3, 4 और 5
(d) उपर्युक्त सभी (1, 2, 3, 4 और 5)

2. दिए गए गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. घरेलू याक (Domestic yak) गोजातीय परिवार 'बोविडे' (Bovidae) का सदस्य है, जो उच्च तुंगता (high-altitude) और ठंडे वातावरण के अनुकूलित है।
2. 'सिक्किमी याक' को करनाल (हरियाणा) स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR) द्वारा एक विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है।
3. गद्यांश के अनुसार, सिक्किम में याक की अनुमानित आबादी 15,000 से अधिक है।
4. याक के जनसंख्या प्रबंधन और नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।
5. याक के क्षेत्रीय महत्व को पहचान दिलाने के लिए 'याक फेडरेशन ऑफ इंडिया' के एक सदस्य ने "हिमालयन पोल" या "याक पोल" स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 5
(c) केवल 1, 2, 4 और 5
(d) उपर्युक्त सभी (1, 2, 3, 4 और 5)

3. आपको एक बड़े डेटा का विश्लेषण करने, कुछ विशिष्ट प्रकार की त्रुटियों और विसंगतियों की पहचान करने और फिर इसके परिणामस्वरूप एक संशोधित और बेहतर संस्करण तैयार करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। आपके वरिष्ठ (Superior) ने आपकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए चार दिनों के बाद आपसे मिलने के लिए कहा है। समीक्षा के तीन दिन बाद आपको एहसास होता है कि डेटा में कई अन्य प्रकार की त्रुटियाँ और विसंगतियाँ भी हैं और आपके पास दो सप्ताह में इन सभी की समीक्षा करने का समय नहीं होगा, कल आपके वरिष्ठ के साथ होने वाली बैठक के समय तक तो बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि अधिक यथार्थवादी समय-सीमा चार सप्ताह होगी। हालाँकि, आप जानते हैं कि बहुत से लोग आपकी समीक्षा और सुधारों के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यदि इसमें देरी होती है तो इससे अन्य विभागों (Units) का काम रुक जाएगा।

सबसे कम प्रभावी (Least Effective) विकल्प चुनें:

(a) उन दो सप्ताहों का उपयोग मूल कार्य के अनुसार तय की गई त्रुटियों को ठीक करने पर केंद्रित करने के लिए करें और कार्य को समय पर पूरा करें।
(b) अपने वरिष्ठ के साथ बैठक का उपयोग समय-सीमा (Deadline) बढ़ाने का तर्क देने के लिए करें ताकि आप खोजी गई अन्य त्रुटियों को भी ठीक कर सकें।
(c) खोजी गई सभी त्रुटियों को ठीक करना शुरू करें और दो सप्ताह में जितना हो सके उतना पूरा करें।
(d) खोजी गई सभी त्रुटियों को ठीक करना शुरू करें, लेकिन अपनी समीक्षा के परिणामों को चरणों (Stages) में अन्य विभागों तक पहुँचाने की व्यवस्था करें ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें।

4. पिछले कुछ वर्षों से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रबंधित किए जाने के बाद, हाल ही में आपके निदेशालय (Directorate)

NCERT पर आधारित प्रश्न

NCERT पर (कक्षा 6- 12) की नई और पुरानी पुस्तकों पर आधारित परीक्षोपयोगी वस्तुनिष्ट प्रश्न

भूगोल

1. भारत के भूवैज्ञानिक संरचना और भू-आकृतिक ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रायद्वीपीय खंड की दृढ़ और स्थिर प्रकृति के विपरीत, हिमालय की भूवैज्ञानिक संरचना युवा, दुर्बल और लचीली है।
2. हिमालयी पर्वत वर्तमान में केवल बहिर्जनिक बलों (exogenic forces) की अंत:क्रियाओं के कारण होने वाले वलन (folding), भ्रंशन (faulting) और क्षेप (thrusting) जैसी विवर्तनिक गतिविधियों से प्रभावित हैं।
3. तेज बहने वाली नदियों द्वारा निर्मित गहरी गॉर्ज (गहरी घाटियाँ), V-आकार की घाटियाँ और जलप्रपात इस बात को सिद्ध करते हैं कि हिमालय अभी भी अपनी युवावस्था में है।
4. दक्षिण भारत एक स्थिर लेकिन अपरदित (विच्छेदित) पठार है, जहाँ प्रचुर मात्रा में अपरदित चट्टानी खंड और कगार स्थित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

व्याख्या: कथन 1, 3 और 4 सही हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि हिमालयी पर्वत बहिर्जनिक और अंतर्जनिक (endogenic) दोनों बलों की अंत:क्रियाओं से प्रभावित हैं; वलन और भ्रंशन के लिए मुख्य रूप से अंतर्जनिक बल ही जिम्मेदार होते हैं।

संदर्भ: एनसीईआरटी कक्षा 11 (भारत: भौतिक पर्यावरण), अध्याय 2: संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान, विषय: हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं,

❖ पृष्ठ 9।

2. भारत में हिमालय पर्वत शृंखलाओं के क्षेत्रीय अभिविन्यास (regional orientation) और भौतिक रूपों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में हिमालय श्रेणी उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है।
2. मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के क्षेत्रों में पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ मुख्य रूप से पूर्व-पश्चिम दिशा में सरेखित हैं।
3. महान हिमालय श्रेणी (केंद्रीय अक्षीय श्रेणी) की पूर्व-पश्चिम लंबाई लगभग 2,500 किमी है, और इसकी उत्तर-से-दक्षिण चौड़ाई 160 किमी से 400 किमी के बीच है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की पहाड़ियाँ पूर्व-पश्चिम के बजाय उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं (दारजीलिंग और सिक्किम क्षेत्र में पहाड़ियाँ पूर्व-पश्चिम दिशा में फैली हैं)।

संदर्भ: एनसीईआरटी कक्षा 11, अध्याय 2: संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान, विषय: उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी पर्वतमाला,

❖ पृष्ठ 11।

3. हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अपवाह तंत्र और पर्वत शृंखलाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में काली नदी के बीच फैला हुआ है।
2. लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में श्नागटिब्बाश और उत्तराखंड में श्धौलाधरश के नाम से जाना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है, क्योंकि लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में 'धौलाधर' और उत्तराखंड में श्नागटिब्बाश के नाम से जाना जाता है।

संदर्भ: एनसीईआरटी कक्षा 11, अध्याय 2: संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान, विषय: हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय।

❖ पृष्ठ 12, 13।

4. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (शब्द/विषय)	सूची-II (विशेषता)
A. बुग्याल	1. इंपीरियल सर्वे का पूर्व मुख्यालय
B. देहरादून	2. ऊँचाई पर स्थित घास के मैदान
C. भोटिया	3. इस क्षेत्र की सबसे बड़ी दून घाटी
D. शिवावाला	4. ग्रीष्म और शीत ऋतु में प्रवास करने वाला एक खानाबदोश समुदाय

कूट:

(a) A-2, B-3, C-4, D-1 (b) A-3, B-2, C-1, D-4
(c) A-2, B-1, C-4, D-3 (d) A-4, B-3, C-2, D-1

उत्तर: (a)

व्याख्या:

❖ **A. बुग्याल** (2): ऊँचाई पर स्थित चारागाह, जहाँ चरवाहे गर्मियों के दौरान जाते हैं।

समसामयिक प्रश्न

अक्टूबर 2026 के घटनाक्रम पर आधारित



1. कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कार्बन कैप्चर में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़े जाने से पहले औद्योगिक उत्सर्जन से या सीधे वायुमंडल से अलग करना शामिल है।
2. CCUS में, कैप्चर की गई का उपयोग रसायन, ईंधन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए किया जा सकता है।
3. स्थायी भंडारण के लिए घटते तेल और गैस जलाशयों तथा गहरे खारे जलभृतों (deep saline aquifers) जैसी भूगर्भीय संरचनाओं का उपयोग किया जा सकता है।
4. CCUS का परिणाम अनिवार्य रूप से शुद्ध-शून्य (net-zero) उत्सर्जन होता है, चाहे कैप्चर प्रक्रिया के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया गया हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

2. नेलाकोंडापल्ली बौद्ध विरासत स्थल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नेलाकोंडापल्ली तेलंगाना में स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है।
2. इस स्थल में एक महास्तूप शामिल है जिसे स्थानीय रूप से 'एरादिब्बा' या 'विराटराज डिब्बा' के नाम से जाना जाता है।
3. इस स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन से विहारों और चौत्य गृहों सहित बौद्ध मठों के अवशेष मिले हैं।
4. यह स्थल विशेष रूप से केवल सातवाहन काल से जुड़ा है और इसमें बाद के राजवंशों का कोई साक्ष्य नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

3. समुद्री खोज एवं बचाव (SAR) कार्यों के लिए विकसित ट्विन-ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह प्रणाली संकट में फंसे व्यक्तियों की निगरानी और पहचान के लिए मुख्य रूप से एक क्वाडकोप्टर का उपयोग करती है।
2. क्वाडकोप्टर मानव हीट सिग्नेचर की पहचान करने के लिए ऑप्टिकल और थर्मल कैमरों के साथ AI-आधारित YOLO मॉडल का उपयोग करता है।
3. हेक्साकोप्टर (Hexacopter) लंबी दूरी के रेडियो-फ्रीक्वेंसी संचार के माध्यम से क्वाडकोप्टर से लक्ष्य के निर्देशांक प्राप्त करता है और एक सेल्फ-इन्फ्लेटिंग (स्वत: फूलने वाली) लाइफबॉय पहुंचाता है।
4. लाइफबॉय का गिराना पूरी तरह से स्वायत्त है और इसमें मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 4 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 4

4. अभ्यास गरुड़ शक्ति 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत और इंडोनेशिया के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास (Special Forces Exercise) है।
2. अभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय टुकड़ी भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) से ली गई है।
3. 2026 का संस्करण बान्युवांगी, पूर्वी जावा, इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है।
4. यह अभ्यास विशेष रूप से केवल नौसेना युद्ध और जल-थल (amphibious) अभियानों पर केंद्रित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

5. संयंत्र-आधारित मांस उत्पादों (Plant-based meat products) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संयंत्र-आधारित मांस उत्पादों को पशु-व्युत्पन्न मांस के स्वाद, बनावट और स्वरूप की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है।
2. सोया प्रोटीन, मटर प्रोटीन और गेहूं का ग्लूटेन उनके उत्पादन में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल हैं।
3. निष्कर्षण (Extrusion) एक विनिर्माण तकनीक है जिसमें मांस जैसी बनावट विकसित करने के लिए नियंत्रित गर्मी और दबाव के तहत सामग्री को डाई के माध्यम से निकाला जाता है।
4. निष्कर्षण (Extrusion) में मांस जैसी बनावट प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से पशु-व्युत्पन्न प्रोटीन का उपयोग शामिल होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 4 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

6. उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की औपचारिक प्रणाली वर्ष 2004 में शुरू की गई थी।
2. इस क्षेत्र में चक्रवातों के नाम 'डब्ल्यूएमओ/ईएससीएपी (WMO/ESCAP) पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स' द्वारा आवंटित किए जाते हैं।
3. क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC), नई दिल्ली, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के चक्रवातों को निर्धारित तीव्रता प्राप्त करने के बाद नाम देने के लिए जिम्मेदार है।